NEXT IAS

आंतरिक सुरक्षा

सिविल सेवा परीक्षा 2025

MADE EASY PUBLICATIONS
द्वारा प्रकाशित

MADE EASY Publications Pvt. Ltd.
कॉर्पोरेट कार्यालय: 44-A/4, कालू सराय
(हौज़ ख़ास मेट्रो स्टेशन के निकट), नई दिल्ली-110016
संपर्क सूत्र: 011-45124660, 8860378007
ई-मेल करें: infomep@madeeasy.in
विजिट करें: www.madeeasypublications.org

आंतरिक सुरक्षा

© **कॉपीराइट: Made Easy Publications Pvt. Ltd.**

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, पुनर्मुद्रण, प्रस्तुतीकरण और किसी ऐसे यंत्र में संग्रहण नहीं किया जा सकता, जिससे इसकी पुनर्प्राप्ति की जा सकती हो अथवा इसका स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार) से उपर्युक्त उल्लिखित प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

प्रथम संस्करण: 2024

विषयसूची

आंतरिक सुरक्षा

अध्याय 1

आंतरिक सुरक्षाः एक सिंहावलोकन
(INTERNAL SECURITY: AN OVERVIEW)................................ 1

1.1 परिचय (Introduction).. 1

1.1.1 आंतरिक और बाह्य सुरक्षा ख़तरों के बीच अंतर (Difference between Internal and External Security Threats) 1

1.2 परिभाषा (Definition).. 1

1.3 आंतरिक सुरक्षा के घटक (Constituents of Internal Security).............................. 2

1.4 आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों में योगदान देने वाले कारक (Factors Contributing to Internal Security Challenges)... 3

1.4.1 शासन में न्यूनता (Governance Deficit)............. 3

1.4.2 आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System)............................. 4

1.4.3 भौगोलिक कारक (Geographical Factors)........ 4

1.4.4 सामाजिक कारक (Social Factors).................... 5

1.5 भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ (Internal Security Challenges of India)....................... 5

1.5.1 बाह्य चुनौतियाँ (External Challenges) 6

1.5.2 विकास की कमी संबंधी चुनौतियाँ (Development Deficit Related Challenges) .. 7

1.5.3 भौगोलिक चुनौतियाँ (Geographical Challenges)... 8

1.5.4 सामाजिक चुनौतियाँ (Social Challenges) 8

1.5.5 तकनीकी चुनौतियाँ (Technological Challenges) 10

1.6 आंतरिक सुरक्षा नीति के पहलू (Aspects of Internal Security Policy) 10

1.6.1 राजनीतिक (Political).................................... 10

1.6.2 सामाजिक-आर्थिक (Socio-Economic) 11

1.6.3 कानून प्रवर्तन एजेंसी (Law Enforcement Agencies)..................... 11

1.6.4 शासन (Governance)................................... 11

1.6.5 केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय (Coordination between Centre and States)....................... 12

1.6.6 साइबर सुरक्षा (Cyber-Security)...................... 12

1.6.7 आसूचना (Intelligence) 12

1.6.8 सीमा क्षेत्र प्रबंधन (Border Area Management)........................ 12

1.7 भारत की आंतरिक सुरक्षा नीति (India's Internal Security Policy) 13

1.7.1 सुरक्षा हित और उद्देश्य (Security Interests and Objectives) 13

1.7.2 विभिन्न भारतीय सुरक्षा बल (Various Security Forces of India) 14

1.7.3 आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार की पहलें (Initiatives taken by GoI to ensure Internal Security) 14

1.7.4 वर्तमान नीति की सीमाएँ (Limitations in Present Policy) 15

1.7.5 सुझाव एवं सिफारिशें (Suggestions and Recommendations) 15

1.8 आंतरिक सुरक्षा नीति सिद्धांत के घटक (Constituents of Internal Security Policy Doctrine) ... 16

1.8.1 भौतिक (Physical) 17

1.8.2 शासन (Governance)................................... 17

1.8.3 आर्थिक (Economic) 18

1.8.4 तकनीकी (Technological)............................. 18

1.8.5 रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्द्धन नीति (Defence Production and Export Promotion Policy-DPEPP) 2020... 19

1.8.6 मनोवैज्ञानिक (Psychological)......................... 19

अध्याय 2

आतंकवाद (TERRORISM) 22

2.1 परिचय (Introduction)... 22

2.2 परिभाषा (Definition) 22

2.3 आतंकवाद के प्रकार (Types of Terrorism) 23

2.3.1 बाह्य राज्य द्वारा आतंकवाद (राज्य प्रायोजित आतंकवाद) [Terrorism by External State (State Sponsored Terrorism)] 23

2.3.2 गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा आतंकवाद (Terrorism by Non-State Actors) 23
2.3.3 विचारधारा उन्मुख आतंकवाद (Ideology Oriented Terrorism) 23
2.3.4 धार्मिक आतंकवाद (Religious Terrorism) 24
2.3.5 नृजातीय-राष्ट्रवादी आतंकवाद (Ethno-Nationalist Terrorism) 24
2.3.6 लोन वुल्फ आतंकवाद (Lone Wolf Terrorism) 24
2.4 आतंकवाद के कारण (Causes of Terrorism) 24
2.4.1 ऐतिहासिक कारक (Historical Factors) 24
2.4.2 धार्मिक (Religion) 24
2.4.3 नृजातीयता (Ethnicity) 24
2.4.4 राजनीतिक (Political) 24
2.4.5 मानवाधिकार (Human Rights) 24
2.4.6 आर्थिक (Economic) 24
2.5 विधियाँ (Methods) 25
2.5.1 पर्यावरणीय आतंकवाद (Environmental Terrorism) 25
2.5.2 सामूहिक विनाश के हथियार (Weapons of Mass Destruction) 25
2.5.3 रासायनिक हथियार (Chemical Weapons) 25
2.5.4 परमाणु हथियार (Nuclear Weapons) 25
2.5.5 जैविक हथियार (Biological Weapons) 25
2.5.6 साइबर आतंकवाद (Cyber-Terrorism) 25
2.6 भारत में आतंकवाद (Terrorism in India) 26
2.6.1 जम्मू और कश्मीर उग्रवाद (Jammu and Kashmir Militancy) 26
2.6.2 पूर्वोत्तर राज्यों में विप्लव (Insurgency in North-Eastern States) 30
2.6.3 वामपंथी उग्रवाद (LWE) 30
2.6.4 अंदरूनी क्षेत्रों (पृष्ठ प्रदेशों) में आतंकवाद (Terrorism in Hinterland) 30
2.7 आतंकी वित्त-पोषण (Terror Financing) 31
2.7.1 बाह्य स्रोत (External Sources) 31
2.7.2 आंतरिक स्रोत (Internal Sources) 32
2.8 आतंकी वित्त-पोषण पर प्रतिक्रिया (Response to Terror Financing) 33
2.9 आतंकवाद के प्रभाव (Effects of Terrorism) 34
2.9.1 आर्थिक (Economic) 34
2.9.2 मनोवैज्ञानिक (Psychological) 34
2.9.3 राजनीतिक (Political) 34
2.9.4 शासन (Governance) 34
2.9.5 सामाजिक (Social) 34
2.10 भारत में आतंक-रोधी कानून (Anti-Terror Laws in India) 35
2.10.1 गैर-कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (UAPA), 1967 35
2.10.2 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act), 1980 35
2.10.3 आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 और 1987 [Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act or TADA, 1985 and 1987] 35
2.10.4 आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2002 (POTA) 35
2.11 26/11 हमले के बाद परिवर्तन (Changes After 26/11 Attack) 35
2.11.1 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 [National Investigating Agency Act] 2008] 35
2.11.2 नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) 36
2.11.3 चार नए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड केंद्र (Four New National Security Guard Hubs) 36
2.11.4 विप्लव-रोधी और आतंक-रोधी स्कूल (Counter-Insurgency and Anti-Terrorism Schools) 36
2.11.5 गैर-कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (UAPA) में संशोधन 36
2.11.6 बहु-अभिकरण केंद्र: अधिक सशक्त और पुनर्गठित (Multi Agency Centre: Galvanised and Reorganised) 37
2.11.7 सुदृढ़ तटीय और समुद्री सुरक्षा (Stronger Coastal and Maritime Security) 37
2.11.8 राष्ट्रीय पुलिस मिशन (NPM) 37
2.11.9 सुरक्षा बलों के लिए बेहतर उपकरण (Better Equipment for Security Forces) 37
2.11.10 युवाओं को कट्टरता से मुक्त करने के लिए एटीएस टीम (ATS Team to Deradicalise Youth) 38
2.12 राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र: एक समालोचनात्मक विश्लेषण [National Counter Terrorism Centre (NCTC): A Critical Analysis] 38
2.13 आतंकवाद से मुकाबला करने की रणनीति (Strategy to Counter Terrorism) 38
2.13.1 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प 2593 का अनुपालन (Adherence to UNSC Resolution 2593) 38
2.13.2 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय का शीघ्र कार्यान्वयन (Early Implementation of CCIT Convention) 39

2.13.3 राजनीतिक सहमति (Political Consensus) 39

2.13.4 सुशासन और सामाजिक-आर्थिक विकास (Good Governance and Socio-Economic Development) 39

2.13.5 विधि के शासन का सम्मान (Respect for Rule of Law) 39

2.13.6 आतंकवादियों की विध्वंसक गतिविधियों का मुकाबला करना (Countering Subversive Activities of Terrorists) 39

2.13.7 उचित विधिक् ढाँचा प्रदान करना (Providing Appropriate Legal Framework) . 39

2.13.8 क्षमता निर्माण (Capacity Building) 40

2.14 आतंकवाद का मुकाबला करने पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा (2nd ARC Recommendation on Countering Terrorism) 40

2.15 आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में शामिल अन्य संस्थाएँ (Other Institutions in Fight Against Terrorism) 40

2.15.1 शिक्षा (Education) 40

2.15.2 नागरिक समाज (Civil Society) 41

2.15.3 मीडिया (Media) 41

निष्कर्ष (Conclusion) 41

अध्याय 3

पूर्वोत्तर में विप्लव (विद्रोह) (INSURGENCY IN NORTH-EAST) 43

3.1 परिचय (Introduction) 43

3.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 43

3.3 भूगोल (Geography) 43

3.4 पूर्वोत्तर से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions Concerning Northeast) 43

3.5 राजनीतिक अशांति (Political Unrest) 44

3.6 राज्यों में विप्लव (विद्रोह) की स्थिति (Status of Insurgency in States) 44

3.6.1 अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) 44

3.6.2 असम (Assam) 45

3.6.3 मेघालय (Meghalaya) 47

3.6.4 मिजोरम (Mizoram) 47

3.6.5 मणिपुर (Manipur) 48

3.6.6 नागालैंड (Nagaland) 49

3.6.7 त्रिपुरा (Tripura) 51

3.7 विप्लव/विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारक (Factors Causing Insurgency) 51

3.7.1 ऐतिहासिक कारक (Historical Factors) 51

3.7.2 भौगोलिक कारक (Geographical Factors) 52

3.7.3 सांस्कृतिक कारक (Cultural Factors) 52

3.7.4 सामाजिक कारक (Social Factors) 52

3.7.5 आप्रवासन संबंधित कारक (Immigration Factors) 53

3.7.6 आर्थिक कारक (Economical Factors) 53

3.7.7 राजनीतिक कारक (Political Factors) 53

3.7.8 शासन संबंधित कारक (Governance Factors) . 54

3.8 उग्रवाद के बने रहने के कारण (Reasons for Survival of Insurgency) 54

3.8.1 राजनीतिक प्रेरणाएँ (Political Motivations) 54

3.8.2 शस्त्रों की उपलब्धता (Availability of Arms) 54

3.8.3 लोकप्रिय समर्थन आधार (Popular Support Base) 55

3.8.4 भूगोल और भू-भाग (Geography and Terrain) 55

3.8.5 बाह्य सहयोग (External Support) 55

3.9 सशस्त्र नृजातीय विद्रोह पर राज्य की प्रतिक्रिया (State's Response to Armed Ethnic Insurgency) 55

3.9.1 बल का आनुपातिक उपयोग (Proportionate use of Force) 55

3.9.2 संवाद और वार्ता का उपयोग (Use of Dialogues and Negotiations) 55

3.9.3 संरचनात्मक परिवर्तन (Structural Changes) 55

3.10 उग्रवाद विरोधी कदम (Counter Insurgency Steps) 57

3.11 सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA) 57

3.11.1 मुख्य विशेषताएँ (Salient Features) 57

3.11.2 उच्चतम न्यायालय का अवलोकन (Supreme Court's Observation) 58

3.11.3 अफस्पा (AFSPA): आलोचनात्मक विश्लेषण (AFSPA: A Critical Analysis) 58

अध्याय 4

वामपंथी उग्रवाद (LEFT-WING EXTREMISM) 61

4.1 परिचय (Introduction) 61

4.1.1 माओवाद (Maoism) 61

4.1.2 भारत में माओवाद (Maoism in India) 62

4.1.3 माओवाद बनाम नक्सलवाद (Maoism vs Naxalism) 62

4.2 वामपंथी उग्रवाद का विकास (Evolution of Left-Wing Extremism) 62
4.3 नक्सलवाद के उद्देश्य (Objectives of Naxalism) 63
4.4 नक्सलवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारक (Factors Responsible for Rise of Naxalism) 63
4.5 शहरी नक्सलवाद (Urban Naxalism) 64
4.6 नक्सलवाद से निपटने में चुनौतियाँ (Challenges in Dealing With Naxalism) 65
4.7 नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार का दृष्टिकोण (Government's Approach to Counter Naxalism) 66
4.8 नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिए सरकारी कार्यवाही का मूल्यांकन (Evaluation of Government's Action to Control Naxalism) 70
4.9 वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने की भावी रणनीति (Future Strategy to Eliminate Left-Wing Extremism) . 70
निष्कर्ष (Conclusion) 71

अध्याय 5

विकास और उग्रवाद
(DEVELOPMENT AND EXTREMISM) 73
5.1 परिचय (Introduction) 73
5.2 विकास (Development) 73
5.3 उग्रवाद के प्रसार के लिए उत्तरदायी कारक (Factors Responsible for Spread of Extremism) 73
5.3.1 ऐतिहासिक (Historical) 73
5.3.2 भौगोलिक (Geographical) 74
5.3.3 जल जंगल ज़मीन (Jal Jangal Jameen) 74
5.3.4 अनुसूचित क्षेत्रों में सुरक्षात्मक विनियमों को लागू करने में विफलता (Failure to Implement Protective Regulations in Scheduled Areas) 75
5.3.5 आर्थिक (Economic) 75
5.3.6 सामाजिक (Social) 76
5.3.7 राजनीतिक (Political) 76
5.3.8 शासन की कमी (Governance Deficit) 77
5.3.9 तकनीकी संबंधी (Technological) 77
5.3.10 नृजातीय (Ethnic) 78
5.4 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक चुनौतियाँ (Developmental Challenges in Extremism Affected Areas) 78
5.4.1 उच्च निर्धनता (High Poverty) 78
5.4.2 निम्न शिक्षा (Low Education) 78
5.4.3 रोजगार के सीमित अवसर (Limited Employment Opportunities) 78
5.4.4 राजनीतिक हाशियाकरण (Political Marginalisation) 78
5.4.5 सामाजिक भेदभाव (Social Discrimination) 78
5.4.6 मानवाधिकारों का उल्लंघन (Human Rights Violations) 79
5.5 कट्टरता और कट्टरता उन्मूलन (Radicalization and De-Radicalization) 79
5.5.1 भारत में कट्टरता (Radicalization in India) 79
5.5.2 कट्टरता उन्मूलन (De-Radicalization) 80
5.6 उग्रवाद को बढ़ावा देने में आर्थिक विकास की भूमिका (Role of Economic Development in Fuelling Extremism) 81
5.6.1 बुनियादी संसाधनों तक पहुँच का अभाव (Lack of Access to Basic Resources) 81
5.6.2 विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के कारण विरोध [Protest due to Special Economic Zones (SEZ)] 81
5.6.3 साझी परिसंपत्ति संसाधनों का संकुचन (Shrinkage of Common Property Resources) 81
5.6.4 श्रम, बेरोजगारी और मजदूरी से संबंधित मुद्दे (Issues related to Labour, Unemployment and Wages) 82
5.6.5 विस्थापन एवं पुनर्वास (Displacement and Rehabilitation) 82
5.6.6 पर्यावरण निम्नीकरण (Environmental Degradation) 82
5.6.7 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का राजनीतिक हाशियाकरण (Political Marginalisation of SCs and STs) .. 83
5.6.8 ऋणग्रस्तता (Indebtedness) 83
5.7 उग्रवाद को रोकने के उपाय (Measures to Contain the Extremism) 83
5.7.1 विधायी उपाय (Legislation Related Measure) 83
5.7.2 भूमि संबंधी उपाय (Land Related Measures) 84
5.7.3 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement) 84
5.7.4 आजीविका (Livelihood) 84
5.7.5 बुनियादी सामाजिक सेवाओं का सार्वभौमिकरण (Universalisation of Basic Social Services) 85
5.7.6 सुरक्षा पहलू (Security Aspects) 85

5.7.7 वित्तीय स्रोतों में कटौती (Cutting Financial Sources) 85
5.7.8 विशेषीकृत एजेंसियाँ (Specialised Agencies) .. 85
5.7.9 आवश्यक उपाय (Essential Measure) 86
5.8 उग्रवाद को नियंत्रित करने में आर्थिक विकास की भूमिका (Role of Economic Development in Containing Extremism) 86
5.9 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षा उपाय (Safeguards for SCs and STs) 86
निष्कर्ष (Conclusion) 88

अध्याय 6

सांप्रदायिक और भीड़ हिंसा
(COMMUNAL AND MOB VIOLENCE) 90
6.1 परिचय (Introduction) 90
6.2 सांप्रदायिकता (Communalism) 90
6.3 सांप्रदायिकता की विशेषताएँ (Features of Communalism) 90
6.4 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएँ (Incidents of Communal Violence) 91
6.5 सांप्रदायिक हिंसा के कारण (Causes of Communal Violence) 91
6.5.1 सामान्य कारण (General Causes) 91
6.5.2 धार्मिक कारण (Religious Causes) 93
6.5.3 सामान्य कारण (Trivial Causes) 95
6.6 परिणाम: सांप्रदायिक हिंसा (Consequences: Communal Violence) 96
6.7 सांप्रदायिकता का समाधान (Solutions to Communalism) 97
6.8 सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के उपाय (Measures to Counter Communal Violence) 98
6.9 भीड़ द्वारा की गई हिंसा/ मॉब लिंचिंग (Mob Violence) ... 99
6.9.1 मॉब और भीड़: एक तुलना (Mob and Crowd: A Comparison) 99
6.9.2 मॉब/भीड़ की मानसिकता (Mob Mentality) 100
6.10 मॉब वायलेंस/भीड़ द्वारा हिंसा के कारण (Causes of Mob Violence) 101
6.10.1 सामाजिक (Social) 101
6.10.2 मनोवैज्ञानिक (Psychological) 102
6.10.3 राजनीतिक (Political) 102
6.10.4 धार्मिक (Religious) 102
6.10.5 शासन (Governance) 103
6.10.6 नीतिशास्त्रीय (Ethical) 104
6.11 मॉब वायलेंस/भीड़ द्वारा हिंसा के परिणाम (Consequences of Mob Violence) 104
6.11.1 सामाजिक (Social) 104
6.11.2 आर्थिक (Economic) 105
6.11.3 शासन (Governance) 105
6.11.4 राजनीतिक (Political) 105
6.11.5 मनोवैज्ञानिक (Psychological) 105
6.12 मॉब वायलेंस/भीड़ द्वारा हिंसा से बचने के उपाय (Measures to Avoid Mob Violence) 106
6.12.1 एहतियाती उपाय करना (Taking Pre-emptive Measures) 106
6.12.2 मानक संचालन प्रक्रियाएँ (Standard Operating Procedures) 106
6.12.3 सामाजिक समरसता को मज़बूत करना (Strengthening Social Harmony) 107
6.12.4 हिंसा के विरुद्ध समुदायों को शिक्षित करना (Educating Communities Against Violence) 107
6.12.5 अपराधियों पर मुक़दमा चलाना (Prosecuting the Offenders) 107
6.12.6 मॉब लिंचिंग को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश (Supreme Court's Prescription to end Mob Lynching) 107
6.13 मॉब एक्शन/कार्यवाहियों से निपटने के लिए सरकार की पहलें (Government initiatives to deal such mob actions) 108
निष्कर्ष (Conclusion) 108

अध्याय 7

बाह्य राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता
(EXTERNAL STATE AND NON-STATE ACTORS) 111
7.1 राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता (State and Non-State Actors) 111
7.2 बाह्य राज्य अभिकर्ताओं से ख़तरे (Threats from External State Actors) 111
7.2.1 चीन से ख़तरे (Threats from China) 111
7.2.2 पाकिस्तान से ख़तरा (Threats from Pakistan) 119
7.2.3 बांग्लादेश (Bangladesh) 125
7.2.4 म्यांमार (Myanmar) 125
7.2.5 नेपाल (Nepal) 126

7.3 बाह्य गैर-राज्य अभिकर्ताओं से ख़तरे (Threats from External Non-State Actors)............... 126

7.3.1 आतंकवाद (Terrorism) 126

7.3.2 ISIS की चुनौती (Challenge of ISIS) 127

7.3.3 लोन वुल्फ अटैक (Lone Wolf Attacks)......... 128

7.3.4 मानव दुर्व्यापार (Human Trafficking) 130

7.3.5 ड्रग कार्टेल्स (Drug Cartels)........................ 132

7.3.6 समुद्री डकैती (Sea Piracy) 135

7.3.7 नकली मुद्रा रैकेट/गिरोह (Fake Currency Rackets) 135

7.3.8 साइबर हमले (Cyber Attacks) 136

7.3.9 अवैध अप्रवासी (Illegal Immigrants) 136

7.3.10 पारराष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय निगम (Transnational and Multi-National Corporations).............. 137

7.3.11 बुकीज़ (सट्टेबाज़) और क्रिकेट माफिया (Bookies and Cricket Mafias) 137

7.3.12 अंतर्राष्ट्रीय पुरावशेषों की तस्करी से संबंधित रैकेट/गिरोह (International Antiquities Smuggling Rackets) 138

अध्याय 8

तटीय और समुद्री सुरक्षा
(COASTAL AND MARITIME SECURITY)............................ 141

8.1 परिचय (Introduction).. 141

8.2 भारत की तटीय सुरक्षा के लिए विभिन्न ख़तरे (Various Threats to Coastal Security of India) 142

8.2.1 समुद्री आतंकवाद (Maritime Terrorism)......... 142

8.2.2 समुद्री दस्युता (Piracy) 142

8.2.3 सशस्त्र डकैती (Armed Robbery) 143

8.2.4 तस्करी (Smuggling).................................. 143

8.2.5 अवैध व्यापार (Trafficking)......................... 143

8.2.6 घुसपैठ (Infiltration).................................... 143

8.2.7 अवैध प्रवासन (Illegal Migration) 144

8.2.8 मछुआरों का समुद्री सीमा से परे भटकना (Straying of Fishermen Beyond Maritime Boundary).................................. 144

8.3 हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री दस्युता (Piracy in the Indian Ocean Region)...................... 144

8.4 भारत की तटीय सुरक्षा संरचना का विकास (Evolution of Coastal Security Architecture of India).............. 145

8.4.1 1960 के दशक तक किए गये उपाय (Measures Taken Till 1960's)................... 145

8.4.2 1960 के दशक के बाद किए गये उपाय (Measures Taken After 1960's)................. 146

8.4.3 1990 के दशक में किए गये उपाय (Measures Taken in 1990's) 146

8.4.4 कारगिल युद्ध के बाद उठाए गए कदम (Measures Taken Post Kargil War) 146

8.4.5 '26/11' के बाद उठाए गए कदम (Measures Taken Post '26/11') 147

8.5 तटीय सुरक्षा ढाँचे (फ्रेमवर्क) में खामियाँ (Lacunae in Coastal Security Framework) 149

8.5.1 समन्वयन की कमी (Lack of Coordination) .. 149

8.5.2 अपर्याप्त संसाधन (Inadequate Resources) .. 149

8.5.3 भिन्न-भिन्न धारणाएँ (Differing Perceptions) 150

8.5.4 खराब प्रशिक्षण (Poor Training).................... 150

8.5.5 व्यापक नीति निर्माण तंत्र का अभाव (Absence of a Comprehensive Policy Formulation Mechanism).. 150

8.5.6 मछुआरा समुदायों में असंतोष (Discontent in Fishermen Communities)... 150

8.5.7 विविध कारक (Miscellaneous Factors)....... 150

8.5.8 गैर-प्रमुख और निजी बंदरगाहों की सुरक्षा (Security of Non-Major and Private Ports) 151

8.6 तटीय सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए सरकार की पहलें (Initiatives by Government to Strengthen Coastal Security).. 151

निष्कर्ष (Conclusion)... 153

अध्याय 9

साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया
(CYBER SECURITY AND SOCIAL MEDIA) 155

9.1 परिचय (Introduction)... 155

9.2 साइबर ख़तरे के प्रकार (Types of Cyber Threat's)...... 155

9.2.1 साइबर अपराध (Cyber Crime) 156

9.2.2 साइबर आतंकवाद (Cyber Terrorism)............ 156

9.2.3 साइबर युद्ध/वॉरफेयर (Cyber Warfare) 157

9.2.4 साइबर जासूसी (Cyber Espionage).............. 157

9.3 साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद के माध्यम (Methods of Cyber Crime and Cyber Terrorism) 157

9.3.1 हैकिंग (Hacking)....................................... 157

9.3.2 वायरस (Viruses) 157

9.3.3 ट्रोजन (Trojans)... 158

9.3.4 कंप्यूटर वॉर्म (Computer Worms) 158

9.3.5 डिनायल-ऑफ-सर्विस (Denial of Service) 158

9.3.6 फिशिंग (Phishing) 158

9.3.7 ईमेल से संबंधित हमले (Email Related Attacks) 158

9.3.8 'सोशल इंजीनियरिंग' संबंधी हमले (Social Engineering Attacks) 158

9.3.9 व्हेलिंग (Whaling) 158

9.3.10 एन्क्रिप्टेड संदेश (Encrypted Messages) 158

9.3.11 आईपी स्पूफिंग 158

9.3.12 स्किमिंग (Skimming) 158

9.3.13 रैनसमवेयर (Ransomware) 158

9.3.14 ज़ीरो-क्लिक अटैक (Zero-click attack) 159

9.3.15 मैन-इन-द-मिडिल (MITM) अटैक (Man-in-the-middle (MITM) attack) 159

9.3.16 ब्लूबगिंग (Bluebugging) 159

9.4 साइबर सुरक्षा की आवश्यकता (Need for Cyber Security) 160

9.5 महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा (Critical Infrastructure) 160

9.5.1 महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical Information Infrastructure- CII) 161

9.5.2 महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे का संरक्षण (Protection of Critical Infrastructure) 161

9.5.3 महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे पर साइबर हमले (Cyber attacks on Critical Infrastructure) . 162

9.6 भारत की साइबर सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ (Challenges to India's Cyber Security) 162

9.7 उभरती प्रौद्योगिकियाँ और संबद्ध चुनौतियाँ (Emerging Technologies and Associated Challenges) 162

9.7.1 5G 162

9.7.2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) Artificial Intelligence (AI) 163

9.7.3 आधार (Aadhar) 163

9.7.4 आरोग्य सेतु ऐप (Aarogya Setu App) 164

9.7.5 पेगासस स्पाइवेयर (Pegasus Spyware) 164

9.8 साइबर सुरक्षा उपाय (Cyber Security Measures) 165

9.8.1 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) 165

9.8.2 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 (Information Technology (Amendment) Act, 2008) 166

9.8.3 भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) (Indian Computer Emergency Response Team- CERT-In) 167

9.8.4 राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) (National Critical Information Infrastructure Protection Centre& NCIIPC)167

9.8.5 साइबर स्वच्छता केंद्र (Cyber Swachhta Kendra) 168

9.8.6 वित्तीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-Fin) (Cyber Security in Financial Sector- CERT-Fin) 169

9.8.7 साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण (Cyber Appellate Tribunal) 169

9.8.8 राष्ट्रीय सूचना बोर्ड (NIB) (National Information Board- NIB) 169

9.8.9 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पहल (International Cooperation Initiatives) 170

9.8.10 अन्य उपाय (Other Measures) 170

9.9 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति: एक विश्लेषण (National Cyber Security Policy: An Analysis) 171

9.10 स्थायी समिति की सिफ़ारिशें (Recommendations of Standing Committee) 173

9.11 गुलशन राय समिति की सिफ़ारिशें (Recommendations of Gulshan Rai Committee) 173

9.12 राष्ट्रीय साइबर संरक्षा और सुरक्षा मानक (National Cyber Safety and Security Standards) 174

9.13 राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 (National Digital Communication Policy, 2018) 174

9.14 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 (National Cyber Security Strategy 2020) 175

9.15 भारतीय साइबर-अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber-Crime Coordination Centre) 175

9.16 राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC) (National Cyber Coordination Centre - NCCC) 175

9.17 समकालीन मुद्दे (Contemporary Issues) 176

9.17.1 चीन की मोबाइल कंपनियों से सुरक्षा को ख़तरा (Security Threat from Chinese Mobile Companies) 176

9.17.2 स्मार्टफोन, ब्राउज़र और एप्लिकेशन आंतरिक सुरक्षा के लिए ख़तरा (Smart Phones, Browsers and Applications are Threat to Internal Security) 176

9.17.3 डेटा लीकेज (Data Leakages) 176

9.17.4 रैनसमवेयर हमले (Ransomware Attacks) 176

9.17.5 डिज़िटल संप्रभुता (Digital Sovereignty) 177

डिज़िटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 (Digital Personal Data Protection Bill, 2023) .. 177

निष्कर्ष (Conclusion) 179

9.18 सोशल मीडिया (Social Media) 180
9.18.1 परिभाषा (Definition) 180
9.18.2 सोशल मीडिया तक पहुँच (Social Media Reach) 181
9.18.3 सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव (Positive Impact of Social Media) 181
9.18.4 सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव (Negative Impact of Social Media) 181
9.18.5 'पोस्ट-टुथ टाइम्स' (ऐसा समय जब झूठी अफ़वाहें प्रमुख समाचार का विषय बन जाती हैं) में फेक न्यूज़ (Fake News in Post-Truth Times) 183
9.18.6 गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग (Use of Social Media By Non-State Actors) 183
9.18.7 राष्ट्रीय सोशल मीडिया नीति (National Social Media Policy) 184
9.18.8 'कट्टरता को समाप्त करने की रणनीति' (De-Radicalization Strategy) 184
9.18.9 कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग (Use of Social Media by Law Enforcement Agencies) 185
9.18.10 आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न करने में सोशल मीडिया की भूमिका (Role of Social Media in Creating Internal Security Challenges) 185
9.18.11 सोशल मीडिया से संबंधित नए आईटी नियम (New IT Rules Related to Social Media) ... 186
9.18.12 सोशल मीडिया के ख़तरों से निपटने के उपाय (Measures to Tackle Threats from Social Media) 186

अध्याय 10

धन-शोधन (MONEY LAUNDERING) 190
10.1 परिचय (Introduction) 190
10.2 अवैध धन के सामान्य स्रोत (Common Sources of Illegal Money) 191
10.3 धन-शोधन की प्रक्रिया (Process of Money Laundering) 191
10.4 धन-शोधन की तकनीकें (Techniques of Money Laundering) 192
10.4.1 जमा संरचना/स्मर्फिंग (Deposit Structuring/Smurfing) 192
10.4.2 नकद जमा के बाद टेलीग्राफ़िक ट्रांसफर (Cash Deposits Followed by Telegraphic Transfer) 192
10.4.3 संपर्कित खाते (Connected Accounts) 192
10.4.4 व्यापार आधारित धन-शोधन (Trade Based Money Laundering) 192
10.4.5 टैक्स हैवेन के माध्यम से राउंड ट्रिपिंग (Round Tripping Through Tax Havens) 192
10.4.6 शेल कंपनियाँ और ट्रस्ट (Shell Companies and Trusts) 193
10.4.7 अग्रणी संगठन (Front Organizations) 193
10.4.8 हवाला लेन-देन (Hawala Transactions) 193
10.4.9 मुद्रा विनिमय ब्यूरो (Currency Exchange Bureaus) 193
10.4.10 बैंक प्रग्रहण (Bank Capture) 193
10.4.11 क्रेडिट कार्ड अग्रिम भुगतान (Credit Card Advance Payments) 193
10.4.12 काला वेतन (Black Salaries) 193
10.4.13 वैध व्यावसायिक लेन-देन (Legitimate Business Transactions) 194
10.4.14 बैंक ड्राफ्ट और समान उपकरण (Bank Drafts and Similar Instruments) 194
10.4.15 प्रेषण सेवाएँ (Remittance Services) 194
10.5 धन-शोधन के प्रभाव (Effects of Money Laundering) 194
10.6 धन-शोधन को रोकने के लिए सरकारी उपाय (Government Measures to Prevent Money Laundering) 195
10.7 वैधानिक उपाय (Statutory Measures) 196
10.8 धन-शोधन की रोकथाम पर द्वितीय एआरसी की सिफारिशें (2nd ARC Recommendations on Prevention of Money Laundering) 197
10.9 काला धन (Black Money) 197
10.9.1 काले धन पर श्वेत पत्र (White Paper on Black Money) 197
10.9.2 धन-शोधन 2012 को नियंत्रित करने के लिए सीबीडीटी (CBDT) की एसआईटी (SIT) की सिफारिशें (Recommendations of the SIT of CBDT to Control Money Laundering 2012) 199
10.9.3 काले धन के सृजन पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम (Steps Taken by Government to Curb Generation of Black Money) 200
10.9.4 आंतरिक/अंतर्राज्यीय काले धन के विरुद्ध पहल (Fight Against Domestic Black Money) 201
10.10 अंतर्राष्ट्रीय पहलें (International Initiatives) 202

10.10.1 वियना कन्वेंशन (Vienna Convention) 202
10.10.2 वित्तीय कार्यवाही कार्य बल (Financial Action Task Force) 202
10.10.3 वित्तीय आसूचना इकाइयाँ (Financial Intelligence Units) 203
10.10.4 यूरोप कन्वेंशन की परिषद् (1990) (The Council Of Europe Convention-1990) 203
10.10.5 पलेर्मो कन्वेंशन (Palermo Convention) 203
10.10.6 पारस्परिक कानूनी सहायता संधियाँ (MLATs) (Mutual Legal Assistance Treaties-MLATs) 203
10.10.7 अंतर्राष्ट्रीय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य धन-शोधन सूचना नेटवर्क (International Money Laundering Information Network) 203

अध्याय 11

संगठित अपराध ORGANIZED CRIME 205
11.1 परिचय (Introduction) 205
11.2 परिभाषा: संगठित अपराध (Definition: Organized Crime) 205
11.2.1 संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organization) 205
11.2.2 इंटरपोल (Interpol) 205
11.2.3 संगठित अपराध के उदाहरण (Examples of Organised Crime) 205
11.3 विशेषताएँ (Characteristics) 205
11.4 संगठित अपराध की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति (Transnational Nature of Organized Crime) 206
11.5 संगठित अपराध के प्रकार (Types of Organized Crime)206
11.5.1 दुर्व्यापार (Trafficking) 206
11.5.2 माफिया गतिविधियाँ (Mafia Activities) 207
11.5.3 वित्तीय अपराध (Financial Crime) 208
11.5.4 आतंकवाद (Terrorism) 209
11.6 आतंकवाद और संगठित अपराध: एक तुलना (Terrorism and Organized Crime: A Comparison).. 209
11.7 आतंकवाद और संगठित अपराध के मध्य संबंध (Linkages between Terrorism and Organized Crime) 209
11.8 आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मध्य संबंध (Linkages between Terrorism and Drug Trafficking)210
11.9 आतंकवाद और धनशोधन के मध्य संबंध (Linkages between Terrorism and Money Laundering) 210
11.10 भारत में आतंकवाद और संगठित अपराध के मध्य संबंध (Linkages between Terrorism and Organized Crime w.r.t. India) 211
11.11 संगठित अपराध की रोकथाम में चुनौतियाँ (Challenges to Containment of Organized Crime) . 211
11.12 अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNTOC): 2000 (UN CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANISED CRIME (UNTOC): 2000) 212
11.13 आगे की राह (Way Forward) 212

अध्याय 12

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ
(SECURITY CHALLENGES IN BORDER AREAS) 215
12.1 परिचय (Introduction) 215
12.2 चुनौतियाँ (Challenges) 216
12.3 भारत में सीमा पार प्रवसन और सुरक्षा से संबंधित मुद्दे (Cross Border Migration in India and Security Issues) 217
12.4 लोगों के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ (Challenges Faced by People) 217
12.5 भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ (International Borders of India) 218
12.5.1 भारत-चीन (India-China) 218
12.5.2 भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan) 220
12.5.3 भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh) 222
12.5.4 भारत-नेपाल (India-Nepal) 222
12.5.5 भारत-म्याँमार (India-Myanmar) 223
12.5.6 भारत-भूटान (India-Bhutan) 225
12.6 सीमा प्रबंधन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया (Response to Border Management Challenges) 225
12.7 व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली- सीआईबीएमएस (Comprehensive Integrated Border Management System - CIBMS) 227
12.8 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme) 227
12.9 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) योजना (Vibrant Villages Programme (VVP) Scheme) 228
12.10 द्वीप क्षेत्र और तटीय सुरक्षा (Island Territories and Coastal Security) 228
12.11 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का सैन्यीकरण (Militarisation of Andaman And Nicobar Islands) ... 229
12.12 कारगिल समीक्षा समिति (Kargil Review Committee) .. 230

12.13 नरेश चंद्रा टास्क फ़ोर्स (Naresh Chandra Task Force) 230

12.14 आगे की राह (Way Forward) ... 231

अध्याय 13

भारत में सुरक्षा ढाँचा
ARCHITECTURE IN INDIA ... 234

13.1 सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Security- CCS) ... 234

13.2 राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्- एनएससी (National Security Council- NSC) ... 235

13.3 सामरिक नीति समूह- एसपीजी (Strategic Policy Group- SPG) ... 235

13.4 रक्षा योजना समिति- डीपीसी (Defence Planning Committee- DPC) ... 235

13.5 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Chief of Defence Staff) ... 236

13.6 राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (National Maritime Security Coordinator) ... 237

13.7 राष्ट्रीय सुरक्षा अवसंरचना से संबंधित प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ (Key Issues and Challenges in National Security Architecture) ... 237

अध्याय 14

सुरक्षा बल और एजेंसियाँ
(SECURITY FORCES AND AGENCIES) ... 239

14.1 परिचय (Introduction) ... 239

14.2 सशस्त्र बल (Armed Forces) ... 239

14.2.1 भारतीय सेना (Indian Army) ... 239

14.2.2 भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) ... 239

14.2.3 भारतीय नौसेना (Indian Navy) ... 240

14.2.4 भारतीय तट रक्षक (Indian Coast Guard) ... 240

14.3 सशस्त्र बलों में महिलाएँ (Women in Armed Forces) .. 240

14.4 सशस्त्र बलों से संबंधित प्रमुख मुद्दे (Key Issues Related to Armed Forces) ... 242

14.5 सशस्त्र बलों में सुधार के उपाय (Measures to Reform Armed Forces) ... 243

14.6 भारत में नागरिक-सैन्य संबंध (Civil-Military Relations in India) ... 243

14.7 अर्द्धसैनिक बल (Paramilitary Forces) ... 244

14.7.1 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल- सीएपीएफ (Central Armed Police Forces- CAPF) ... 244

14.7.2 असम राइफल्स- एआर (Assam Rifles- AR) .. 246

14.8 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से संबंधित प्रमुख मुद्दे (Key Issues of Central Armed Police Forces) ... 246

14.9 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सुधार हेतु उपाय (Measures to Reform Central Armed Police Forces) ... 247

14.10 अन्य बल (Other Forces) ... 247

14.10.1 रेलवे सुरक्षा बल- आरपीएफ (Railway Protection Force- RPF) ... 247

14.10.2 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल- एनडीआरएफ (National Disaster Response Force- NDRF) ... 247

14.10.3 विशेष सुरक्षा दल-एसपीजी (Special Protection Group- SPG) ... 248

14.10.4 स्पेशल फ्रंटियर फ़ोर्स- एसएफएफ (Special Frontier Force- SFF) ... 248

14.10.5 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड- एनएसजी (National Security Guard- NSG) ... 248

अध्याय 15

आसूचना और अन्वेषण एजेंसियाँ
(INTELLIGENCE AND INVESTIGATING AGENCIES) ... 250

15.1 रिसर्च एंड एनालिसिस विंग-रॉ (Research and Analysis Wing- RAW) ... 250

15.2 आसूचना ब्यूरो- आईबी (Intelligence Bureau- IB) ... 250

15.3 राष्ट्रीय जाँच एजेंसी- एनआईए (National Investigating Agency- NIA) ... 250

15.4 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो- सीबीआई (Central Bureau of Investigation- CBI) ... 251

15.5 राजस्व खुफिया निदेशालय- डीआरआई (Directorate of Revenue Intelligence- DRI) ... 251

15.6 प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ... 251

15.7 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो- एनसीबी (Narcotics Control Bureau-NCB) ... 252

15.8 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो- एनसीआरबी (National Crime Records Bureau- NCRB) ... 252

15.9 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो- बीपीआरडी (Bureau of Police Research and Development- BPRD) ... 252

15.10 राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन- एनटीआरओ (National Technical Research Organization- NTRO) 253

15.11 राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड - नैटग्रिड (National Intelligence Grid- NATGRID) ... 253

15.12 मल्टी एजेंसी सेंटर- मैक (Multi Agency Centre- MAC) ... 253

अध्याय 16

रक्षा आधुनिकीकरण

(DEFENCE MODERNISATION) 255

16.1 परिचय (Introduction)... 255

16.2 वर्तमान स्थिति (Current Status) 255

16.3 रक्षा आधुनिकीकरण की आवश्यकता (Need for Defense Modernisation)......................... 255

16.4 रक्षा आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कदम (Step Taken for Defense Modernisation)................ 255

16.4.1 रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 (डीपीईपीपी 2020) Defence Production and Export Promotion Policy (DPEPP) 2020 255

16.4.2 रक्षा उत्पादन (Defense Production) 256

16.4.3 रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष- एमएफडीआईएस (Modernisation Fund for Defence and Internal Security- MFDIS) 257

16.4.4 भारत में रक्षा खरीद (Defence Procurement in India) 257

16.4.5 एकीकृत थिएटर कमांड (Integrated Theatre Command) 258

16.4.6 सामरिक भागीदारी मॉडल (Strategic Partnership Model) 258

16.4.7 आयुध निर्माणी बोर्ड में सुधार (Reforms in the ordnance factory Board) . 259

16.4.8 रक्षा सेवाओं को वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन (DFPDS) 2021 [Delegation of Financial Power to Defence Services (DFPDS) 2021] 259

16.4.9 सैन्य रसद समझौता (Military Logistics Agreement).................. 261

अध्याय 3

पूर्वोत्तर में विप्लव (विद्रोह)
(INSURGENCY IN NORTH-EAST)

3.1 परिचय (Introduction)

विभिन्न भारतीय विद्रोही समूहों (IIGs) द्वारा हिंसा और विविध माँगें की जा रही हैं, जिनका मुख्य कारण भाषा, नृजातीयता, आदिवासी प्रतिद्वंद्विता, प्रवासन, स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण और शोषण तथा अलगाव की व्यापक भावना इत्यादि हैं। ये समूह संप्रभुता, स्वतंत्र राज्य या मातृभूमि, या उन नृजातीय समूहों के लिए बेहतर स्थिति चाहते हैं, जिनका ये प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न, ये भूमिगत संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हथियारों से डराने-धमकाने का कार्य करते हैं। ये सीमा पार संबंध भी बनाए रखते हैं, हथियार हासिल करते हैं, सदस्यों की भर्ती और प्रशिक्षण करते हैं, और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने, बम विस्फोट, ज़बरन वसूली और निर्दोष नागरिकों, सुरक्षा बलों, सरकारी कर्मचारियों, राजनेताओं और व्यापारियों को निशाना बनाने जैसे गैर-कानूनी कार्यों में संलग्न होते हैं।

3.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

संविधान के लागू होने की शुरूआत में, नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम असम का हिस्सा थे, जबकि अरुणाचल प्रदेश को उस समय नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) के नाम से जाना जाता था। इसमें असम के राज्यपाल द्वारा प्रशासित कई 'सीमांत क्षेत्र' शामिल थे।

मणिपुर और त्रिपुरा रियासतें थीं, जो 1948 में भारत के साथ एकीकरण के बाद "भाग सी" (Part C) राज्य बन गईं, जो केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए पूर्व शब्द था। जीवन के विशिष्ट तरीकों और प्रशासनिक संरचनाओं को पहचानते हुए, संविधान निर्माताओं ने क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष संस्थागत व्यवस्थाएँ स्थापित कीं। इसमें संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से उच्च स्तर का स्वशासन प्रदान करना शामिल था।

3.3 भूगोल (Geography)

अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर में आठ राज्य हैं, जो अपनी भौगोलिक स्थिति, अद्वितीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं के कारण विशेष महत्त्व रखते हैं। 'आठ बहनें' या 'सात बहनें और एक भाई' के रूप में संदर्भित, ये राज्य 263,179 वर्ग किमी में विस्तृत हैं, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग आठ प्रतिशत है, और देश की लगभग 3.76 प्रतिशत आबादी का घर है। विशेष रूप से, उनकी लगभग 98 प्रतिशत सीमाएँ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ संलग्न हैं।

पूर्वोत्तर राज्य विविध परिदृश्यों, समुदायों और पारिस्थितिक विविधताओं के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें देश के अन्य क्षेत्रों से अलग करते हैं। विविधता में एकता के लिए पहचाने जाने वाले,ये राज्य कई नृजातीय समूहों के साथ विशिष्ट संस्कृतियों का प्रदर्शन करते हैं। इस क्षेत्र में देश के 705 जनजातीय समूहों में से 220 से अधिक समूह रहते हैं, जो विभिन्न प्रकार की तिब्बती-बर्मन भाषाएँ और बोलियाँ बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड में मुख्य रूप से आदिवासी निवास करते हैं, जो जनजातियों के बीच विविधता को दर्शाता है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे राज्यों में हिंदू, ईसाई, मुस्लिम जैसे विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के लोग और स्थानीय जनजातियों और समुदायों का संयोजन देखने को मिलता है।

3.4 पूर्वोत्तर से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions Concerning Northeast)

- भाग IX: पंचायतें
  - अनुच्छेद 243(M): कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होता।
  - अनुच्छेद 243(Z)(C): कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होता।
- भाग X: अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र
- अनुच्छेद 244: अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
- अनुच्छेद 244(A): असम में कुछ आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करते हुए स्वायत्त राज्य का गठन और इसलिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद् अथवा दोनों का निर्माण।
- भाग XXI: 'अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध' वाले प्रावधान

- अनुच्छेद 371(A): नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
- अनुच्छेद 371(B): असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
- अनुच्छेद 371(C): मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
- अनुच्छेद 371(F): सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
- अनुच्छेद 371(G): मिज़ोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
- अनुच्छेद 371(H): अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
- **छठी अनुसूची**
  - अनुच्छेद 244(2) और 275(1): असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान।
- इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit): मिज़ोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय आबादी की मूल पहचान को संरक्षित करने के लिए, बाहरी लोगों पर प्रवेश प्रतिबंध लगाया गया है और इनर लाइन परमिट (ILP) के बिना बाहरी लोगों को इन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

3.5 राजनीतिक अशांति (Political Unrest)

पूर्वोत्तर भारत लगभग एक शताब्दी से राजनीतिक अशांति से जूझ रहा है। इस क्षेत्र की समस्याओं में दक्षिणी तिब्बत कहे जाने वाले अरुणाचल प्रदेश पर चीन का विवादित दावा भी शामिल है, जो 1962 में भारत-चीन युद्ध में बदल गया। हालाँकि, पूर्वोत्तर भारत में अशांति इस संघर्ष से पहले से ही है। हाल ही के दिनों में, इस क्षेत्र में विप्लवकारियों ने शेष भारत से इसके अलगाव को बढ़ा दिया है। चल रही राजनीतिक उथल-पुथल ने इस क्षेत्र में आने-जाने के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं, जिससे संस्कृति और भाषा के मुक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है। यह स्थिति भारतीय स्वतंत्रता और भारत-चीन युद्ध जैसी घटनाओं के ऐतिहासिक प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है, जिसने इसी तरह सांस्कृतिक और भाषायी प्रभावों के आदान-प्रदान को बाधित किया।

3.6 राज्यों में विप्लव (विद्रोह) की स्थिति (Status of Insurgency in States)

पूर्वोत्तर में विप्लव में शामिल समूह (Groups Involved in Insurgency in North East)

गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत "गैर-कानूनी संगठन" और "आतंकवादी संगठन" के रूप में घोषित पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोही/उग्रवादी समूहों की सूची:

विद्रोही/उग्रवादी समूह (Insurgent/Extremist Groups)	
राज्य (State)	संगठन (Organisation)
असम	यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (United Liberation Front of Assam), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (National Democratic Front of Bodoland)
मणिपुर	पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (People's Liberation Army), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (United National Liberation Front), मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (Manipur Peoples' Liberation Front)
मेघालय	गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (Garo National Liberation Army)
त्रिपुरा	ऑल त्रिपुरा टाइगर फ़ोर्स (All Tripura Tiger Force)
नागालैंड	नेशनल सोशलिस्ट कार्उंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [The National Socialist Council of Nagaland (Khaplang)]

2012 से पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति (गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट) [Security situation in North-East since 2012 (MHA Annual Report)]

वर्ष	घटनाएँ
2012	1025
2013	732
2014	824
2015	574
2016	484
2017	308
2018	252
2019	223
2020	163
2021 (31/08/2021)	135

3.6.1 अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh)

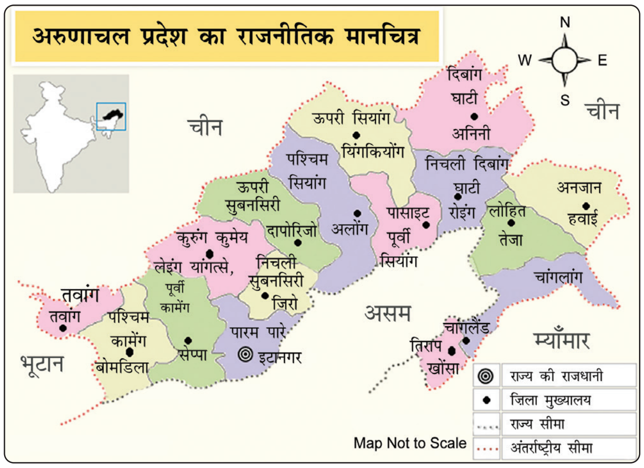

- **इतिहास** (History): अरुणाचल प्रदेश, जिसका अर्थ है "सुबह के सूर्य से जगमगाते पहाड़ों की भूमि", आधुनिक

भारत में संघवाद के सार का प्रतीक है। अरुणाचल प्रदेश को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अरुणाचल में विविध संस्कृति, पहाड़ी क्षेत्र और प्राकृतिक सुंदरता है। यह एक आकर्षक स्थान है और विविधता में एकता के विचार का प्रतिनिधित्व करने वाले सूक्ष्म भारत का एक आदर्श उदाहरण है। अरुणाचल प्रदेश अपेक्षाकृत नया राज्य है। 20 फरवरी, 1987 को राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पूर्व, यह 1972 से 15 वर्षों तक एक संघ राज्य क्षेत्र (UT) के रूप में अस्तित्व में था। इस परिवर्तन के दौरान इसे अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया था। इससे पहले, इस क्षेत्र को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) के रूप में जाना जाता था और इसका प्रशासन सीधे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता था।

- **विप्लव/विद्रोह** (Insurgency): अरुणाचल प्रदेश के तिराप और चांगलांग जिलों में विद्रोह 2000 के दशक की शुरुआत में उभरा, जो मुख्य रूप से नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN) के दो गुटों के बीच प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित था। विशेष रूप से, तिराप में विद्रोह स्वदेशी नहीं है, और स्थानीय आबादी नागा कारण से अपनी पहचान नहीं रखती है। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) के लिए पारगमन मार्ग के रूप में कार्य किया है। सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में, असम के साथ साझा की गई 20 किमी की सीमा बेल्ट के साथ-साथ तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 (AFSPA, 1958) के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है।
- **वर्तमान स्थिति** (Current Situation):
  1. तिराप और चांगलांग में विद्रोह के उद्भव के लिए शासन की कमियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जहाँ वर्षों से प्रभावी प्रशासन की कमी ने स्थानीय राजनीतिक गतिशीलता और विद्रोही गतिविधियों के कारण महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  2. एनएससीएन (IM) और एनएससीएन (K) के युद्धरत गुटों तथा केंद्र सरकार के बीच युद्धविराम समझौते मौजूद हैं, लेकिन एक गंभीर कमी यह है कि ये समझौते केवल नागालैंड के क्षेत्र पर लागू होते हैं। विद्रोही इस अंतर का लाभ उठाते हैं, जिससे उन्हें अन्य क्षेत्रों में सशस्त्र गतिविधियाँ जारी रखने की अनुमति मिलती है।
  3. एक गंभीर चिंता यह है कि विद्रोही आसानी से चीन से हथियार प्राप्त कर रहे हैं, जबकि स्थानीय उद्योग ज़बरन वसूली का लक्ष्य बन गए हैं। बाहरी हथियारों की खरीद और आंतरिक आर्थिक व्यवधानों की यह दोहरी चुनौती क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य को और जटिल बनाती है।

3.6.2 असम (Assam)

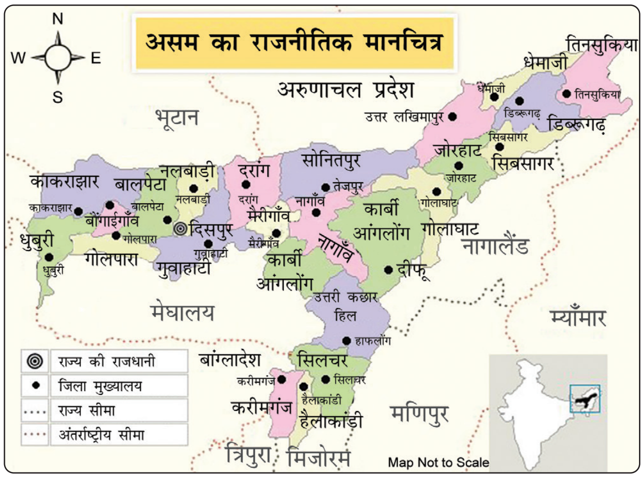

- **इतिहास** (History): असम का इतिहास तिब्बती-बर्मन (चीन-तिब्बती), इंडो-आर्यन और ऑस्ट्रोएशियाटिक संस्कृतियों का संगम है। औपनिवेशिक काल की शुरुआत प्रथम आंग्ल-बर्मी युद्ध के बाद 1826 में यांडूब की संधि (Treaty of Yandabo) के माध्यम से स्थापित ब्रिटिश नियंत्रण के साथ हुई। पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार के रूप में स्थित, असम में नदी के मैदान, निचली पहाड़ियाँ, आरक्षित वन और कई धाराएँ एवं नदियाँ हैं। शेष भारत से इसका जुड़ाव सिलीगुड़ी में एक संकीर्ण गलियारे के माध्यम से होता है। 1947 में, सिलहट-रहित करीमगंज डिवीजन को पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र दो वर्षों से अधिक समय तक शेष भारत से अलग-थलग रहे। असम का शेष भारत के साथ पुनः एकीकरण 1950 में हुआ, जो इस क्षेत्र से संपर्क और व्यापक भारतीय परिदृश्य के एकीकरण में एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण था।
- **सामासिक संस्कृति** (Melting Pot of Cultures): असम असमिया (हिंदू और मुस्लिम), बोडो और ईसाई, सिक्ख, बौद्ध और जैन जैसी जनजातियों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री के साथ विविध संस्कृतियों के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। जनसांख्यिकीय संरचना अकसर विभिन्न उग्रवादी समूहों के प्रभाव क्षेत्रों को प्रभावित करती है।
- **जनसांख्यिकी असंतुलन** (Demography Imbalance): स्वतंत्रता के बाद, असम में बड़े पैमाने पर प्रवासियों का आगमन हुआ, जिससे जनसांख्यिकीय संतुलन मूल निवासियों के विरुद्ध हो गया और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी उत्पन्न हुई। समग्र आर्थिक पिछड़ेपन के साथ-साथ प्रवासन मुद्दे पर आधिकारिक उदासीनता ने पहले से मौजूद समस्याओं को और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे कई समूह उभरे, जिन्होंने अधिक स्वायत्तता और राज्य के दर्जे के लिए आवाज़ उठाई। ये समूह थे, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU), ऑल असम गण संग्राम परिषद् (AAGSP), ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन

(ABSU) और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA)। असम समझौते पर 1985 में AASU, केंद्र सरकार और असम सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के तहत, 25 मार्च, 1971 के बाद असम आने वाले सभी लोगों का पता लगा कर उन्हें निर्वासित किया जाना था।

- बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों का आना आज भी एक बड़ा मुद्दा है, जो असम के समक्ष संकट उत्पन्न कर रहा है और अब सांप्रदायिक रंग ले रहा है।
- **उल्फा और उसका दावा** (ULFA and its Claim):
  - **वैचारिक पृष्ठभूमि:** 1979 में स्थापित, परेश बरुआ के नेतृत्व में उल्फा, सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से असम को "भारतीय औपनिवेशिक शासन" से मुक्त कराना और वैज्ञानिक समाजवाद के माध्यम से असमिया समाज में आमूल-चूल परिवर्तन लाना चाहता है।
  - **समर्थन आधार:** इस संगठन का समर्थन आधार ब्रह्मपुत्र घाटी में था, जिसमें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के साथ-साथ भूटान, बांग्लादेश और म्याँमार में प्रशिक्षण शिविर और अभयारण्य शामिल थे।
  - **उद्देश्य:** उल्फा का घोषित उद्देश्य स्वाधीन असम (स्वतंत्र असम) को प्राप्त करना तथा इस एजेंडे पर सरकार के साथ बातचीत में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करना है।
  - **उल्फा के समक्ष संकट:** संगठन को 2003 में एक बड़ा झटका लगा जब भूटान ने "ऑपरेशन ऑल क्लियर" के माध्यम से उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर निकाल दिया।
- हाल ही की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि ULFA (I) ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड - खापलांग (NSCN-K) के साथ संबंध स्थापित किए हैं और वर्तमान क्षेत्र जहाँ ULFA (I) संचालित है, वह NSCN-K के अधिकार-क्षेत्र में आता है। ULFA (I) के अतिरिक्त अन्य सक्रिय विद्रोही संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB-S), कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (KLO) और कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर (KPLT) हैं। ये संगठन राज्य में चल रही शांति प्रक्रिया को बाधित करने वाले प्रमुख तत्त्व भी रहे हैं।
- **नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड** (NDFB): 1986 में राजन दैमारी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) अस्तित्व में आया। मूल रूप से स्वायत्तता की माँग करने वाले बोडो की आकांक्षाएँ समय के साथ एक अलग राज्य की तलाश में विकसित हुईं। NDFB का प्रभाव क्षेत्र निचले असम के कई जिलों तक विस्तृत है, जिनमें कोकराझार, कामरूप, सोनितपुर, चिरांग, दरांग, बक्सा, उदलगिरि, बारपेटा और बोंगाईगाँव शामिल हैं। बोडो समुदाय की चिंताओं को दूर करने के प्रयास में, भारत और असम की सरकारें ठोस प्रयासों में लगी हुई हैं। 10 फरवरी, 2003 को बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर फ्रंट (BLTF) से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर के साथ एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया था। इससे बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् (BTC) का निर्माण हुआ, जिसमें कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगिरि जिले शामिल थे। हालाँकि, इस व्यवस्था को NDFB की मंजूरी नहीं मिल सकी।

बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् (Bodo Territorial Council% BTC)

स्थापना: भारत सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स के बीच 10 फरवरी, 2003 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद 2003 में भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् (BTC) का गठन किया गया था।

शक्तियाँ: बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् (BTC) को असम के चार जिलों (कोकराझार, बक्सा, चिरांग और उदलगुरी) सहित बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्रीय जिलों के 40 नीति क्षेत्रों में विधायी, प्रशासनिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं।

बोडोलैंड विवाद (Bodoland Dispute)

असम की आबादी का 5-6 प्रतिशत हिस्सा बोडो राज्य में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। उनका ऐतिहासिक रूप से असम के महत्त्वपूर्ण हिस्सों पर नियंत्रण रहा है। बोडो प्रादेशिक क्षेत्र जिला (BTAD), जिसमें कोकराझार, बक्सा, उदलगुरी और चिरांग जिले शामिल हैं, विभिन्न नृजातीय समूहों का घर है।

बोडोलैंड नामक एक अलग राज्य की माँग 1966-67 से चली आ रही है, जिसका समर्थन प्लेन्स ट्राइबल्स काउंसिल ऑफ असम (PTCA) ने किया था। 1986 में सशस्त्र समूह बोडो सिक्योरिटी फ़ोर्स के उद्भव के साथ इस आंदोलन को गति मिली, जिसे बाद में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) के रूप में जाना गया, जो हमलों, हत्याओं और ज़बरन वसूली में शामिल होने के लिए जाना जाता था। समूह अंततः गुटों में विभाजित हो गया।

1987 में, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) ने "असम को बाँटो फिफ्टी-फिफ्टी" नारे के साथ एक अलग राज्य के पुनर्गठन की माँग की। यह अशांति असम आंदोलन (1979-85) के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई, जो असम समझौते के साथ संपन्न हुआ, जिसमें "असमिया लोगों" के लिए संरक्षा और सुरक्षा उपायों को संबोधित किया गया था, किंतु अपनी पहचान की रक्षा के लिए बोडो आंदोलन शुरू हुआ।

ऐतिहासिक तनाव हिंसा में बदल गया, जैसा कि दिसंबर 2014 के हमलों में देखा गया, जिसमें कोकराझार और सोनितपुर में 30 से अधिक लोगों की जान चली गई। 2012 के बोडो-मुस्लिम दंगों में भी सैकड़ों लोग हताहत हुए और लगभग 5 लाख लोगों का विस्थापन हुआ। ये घटनाएँ बोडो समुदाय की पहचान और स्वायत्तता के संघर्ष के जटिल ऐतिहासिक और सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को रेखांकित करती हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम (Steps Taken by the Government)

- **1993 बोडो समझौता:** 1987 में शुरू हुए ABSU के नेतृत्त्व वाले आंदोलन की परिणति, 1993 के बोडो समझौते ने बोडोलैंड स्वायत्त परिषद्

बोडोलैंड विवाद (Bodoland Dispute)

(BAC) के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। हालाँकि, ABSU ने बाद में अपना समझौता वापस ले लिया और एक अलग राज्य की अपनी माँग को नवीनीकृत कर दिया।

- **2003 बोडो समझौता:** 2003 में हस्ताक्षरित दूसरे बोडो समझौते में चरमपंथी समूह बोडो लिबरेशन टाइगर फ़ोर्स (BLTF), केंद्र और राज्य शामिल थे। इस समझौते के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) का गठन हुआ।
  - BTC के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बोडो प्रादेशिक स्वायत्त जिला (BTAD) नाम दिया गया था।
- **2020 समझौता:** 2020 में एक त्रिपक्षीय समझौते में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) के चार गुटों सहित विभिन्न बोडो समूह शामिल थे। बोडो मुद्दे का "स्थायी" समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से, समझौते की कुछ प्रमुख विशेषताएँ शामिल हैं:
  - BTAD क्षेत्र में परिवर्तन और BTAD के बाहर बोडो के लिए प्रावधान।
  - बोडो प्रादेशिक स्वायत्त जिला (BTAD) का नाम बदलकर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) करना।
  - BTC को अधिक विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना।
  - NDFB के आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए प्रावधान।
  - इस क्षेत्र के लिए 1500 करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज।

- **युद्धविराम** (Ceasefire): भारतीय सेना ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) के विरुद्ध व्यापक जवाबी कार्यवाही की, जिससे उन्हें भूटान में पीछे हटने के लिए मज़बूर होना पड़ा। 2000 के दशक की शुरुआत में, भारतीय सेना ने रॉयल भूटान आर्मी के साथ मिलकर भूटान में छिपे NDFB आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया।

  शांति लाने के प्रयास में, 25 मई, 2005 को एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें शांति वार्ता के लिए भारत सरकार, असम सरकार और NDFB शामिल थे। हालाँकि, NDFB के भीतर आंतरिक असहमति तब स्पष्ट हो गई, जब राजन दैमारी के डिप्टी, इंगती कथार सोंगबिजित ने शांति वार्ता का दृढ़ता से विरोध किया और एक अलग बोडोलैंड की अपनी माँग पर अड़े रहे। आखिरकार, सोंगबिजीत अपने समर्थकों के साथ संगठन से अलग हो गए और NDFB(S) का गठन किया। यह गुट छिटपुट रूप से उग्रवाद की घटनाओं में शामिल रहता है, जिससे क्षेत्र में शांति प्रक्रिया में जटिलताएँ बढ़ रही हैं।

3.6.3 मेघालय (Meghalaya)

- **इतिहास** (History): 21 जनवरी, 1972 को असम राज्य से पृथक् मेघालय राज्य का गठन किया गया था। मेघालय में यूनाइटेड खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स शामिल हैं। मेघालय का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किमी है और जनसंख्या 29.67 लाख (जनगणना 2011) है। यह तीन प्रमुख जनजातियों का घर है - खासी, पन्नार (जयंतिया) और अचिक (गारो)।

मेघालय का राजनीतिक मानचित्र

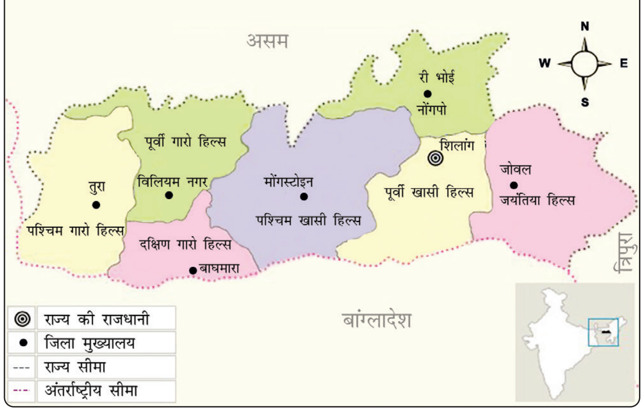

- **विप्लव/विद्रोह** (Insurgency): बांग्लादेश और नेपाल से विदेशी नागरिकों और बाहरी लोगों की आमद ने विशेष रूप से मेघालय के युवाओं में बाहरी विरोधी भावना को जन्म दिया है। यह उनके बीच प्रतिकूल भावना का मुख्य कारण है। पूर्वोत्तर के विप्लवकारियों ने मेघालय, विशेष रूप से शिलांग का आराम करने के लिए छिपने और संभलने के लिए एक सुविधाजनक ठिकाने के रूप में उपयोग किया है। हन्नीवट्रेप (Hynniewtrep) और अचिक (Achiks) मेघलाय में दो प्रमुख आदिवासी समूह हैं। अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल (ANVC) और हन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (HNLC) राज्य के मुख्य समूह हैं। हालाँकि, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (GNLA) अब अलग गारोलैंड की माँग में अहम् भूमिका निभा रही है। मेघालय में, केंद्रीय पुलिस संगठन (CPOs) अशांत क्षेत्रों में उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार है। हालाँकि CPOs के समक्ष मुख्य चुनौती यह है कि उनके पास आसूचना तंत्र की कमी है। इसका परिणाम पुलिस को भुगतना पड़ रहा है और इस सौदेबाजी में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
- **वर्तमान स्थिति** (Current Situation): गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (GNLA) कैडर अच्छी तरह से प्रशिक्षित है, किंतु पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप बांग्लादेश सीमा पार से जीएनएलए के संचार और आपूर्ति मार्गों को काट दिया गया है।

3.6.4 मिज़ोरम (Mizoram)

- **इतिहास** (History): औपनिवेशिक काल के दौरान, अब मिज़ोरम के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। 1898 में, इसे असम के भीतर एक अलग जिले के रूप में स्थापित किया गया था। 1936 में,

इसे इनर लाइन नियमों के तहत एक वर्जित क्षेत्र (Excluded area) घोषित किया गया था। मिज़ो संघ का गठन मिज़ो समुदाय द्वारा पहली राजनीतिक पार्टी के रूप में किया गया था। 1954 में जिला और ग्राम परिषदों का गठन किया गया और असम से अलग होने की माँग की गई।

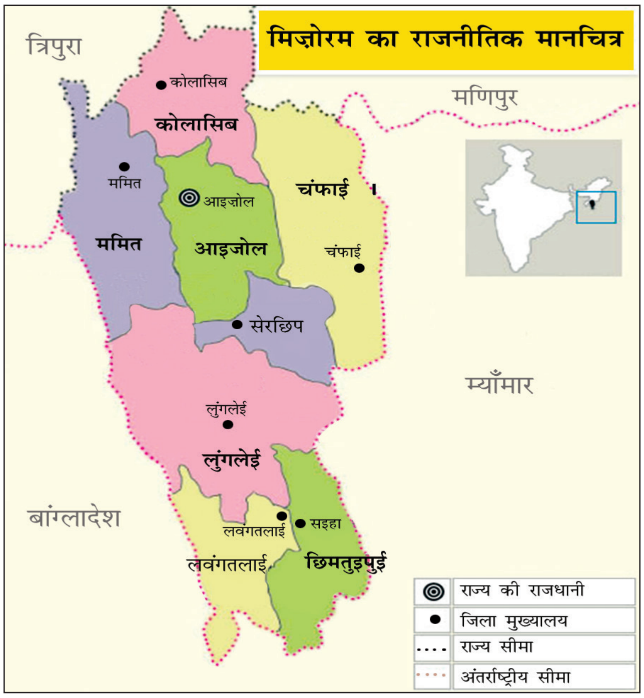

- **विप्लव/विद्रोह** (Insurgency): 1959-1960 की अवधि में मिज़ोरम में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए मिज़ो राष्ट्रीय अकाल मोर्चा (MNFF) की स्थापना की गई। 1960 में असम सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से असंतोष के कारण MNFF का मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) में रूपांतरण हो गया। 21 दिसंबर, 1961 को एमएनएफ (MNF) ने अपना प्राथमिक उद्देश्य घोषित किया, जिसके तहत सभी मिज़ो को एक ही प्रशासन के तहत एकजुट करना और स्वतंत्रता प्राप्त करना था। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता की माँग को स्वीकार नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप MNF द्वारा विद्रोह किया गया और 28 फरवरी, 1966 को 'ऑपरेशन जेरिको' (Operation Jericho) शुरू किया गया। सुरक्षा बलों के साथ झड़पें हुई और पुलिस स्टेशनों, टेलीफ़ोन एक्सचेंजों, सरकारी कार्यालयों पर छापे मारे गए। सेना को बुलाया गया और स्थिति बहाल की गई, जिसके परिणामस्वरूप MNF विद्रोही पूर्वी पाकिस्तान और 1971 के युद्ध के बाद बर्मा भाग गए। जनवरी, 1972 में मिज़ोरम को एक केंद्र-शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। 1986 में मिज़ो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, एमएनएफ ने अपने हथियार डाल दिए और कर्मियों का पुनर्वास किया गया।
- **स्वतंत्रता आंदोलन और राज्य का गठन** (Independence Movement and Formation of the State): ऑपरेशन जेरिको के परिणामस्वरूप 1986 में MNF और भारत सरकार के मध्य मिज़ो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। MNF भारतीय संविधान के तहत कार्य करने और हिंसा छोड़ने पर सहमत हुआ। यह समझौता सफल रहा है और इसके परिणामस्वरूप मिज़ो की पहचान की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 371-(G) शामिल किया गया है। समझौते की सफलता का मुख्य कारण यह था कि उग्रवादी नेताओं की राजनीतिक माँगें पूरी की गई और छोटी जनजातियों को एक सामंजस्यपूर्ण पहचान में एकीकृत किया गया और उन्हें पूरी व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया। केंद्र सरकार ने विकास कार्यों के वित्त-पोषण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान पीड़ित परिवार के सदस्यों को वित्त-पोषण पैकेज प्रदान किए। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों का पुनर्वास किया गया। चर्च ने बहुत मदद की, क्योंकि यह उच्च साक्षरता और स्वास्थ्य स्थिति लाया, साथ ही इसने मिज़ो समाज को एक आधुनिक समाज में बदल दिया। 20 फरवरी, 1987 को मिज़ोरम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यहाँ चकमा, ब्रू और हमार की स्वायत्त परिषद् है। चकमा मूल रूप से गैर-मुस्लिम हैं और चटगाँव पहाड़ी इलाके में भी रहते हैं।
- **वर्तमान स्थिति** (Current Situation): मिज़ोरम एक शांतिपूर्ण राज्य है और यहाँ चिंता का मुख्य कारण म्याँमार से अवैध प्रवासन और विद्रोही समूह राज्य का कैडरों और हथियारों की सीमा पार आवाजाही के लिए गलियारे के रूप में उपयोग करना हैं।

3.6.5 मणिपुर (Manipur)

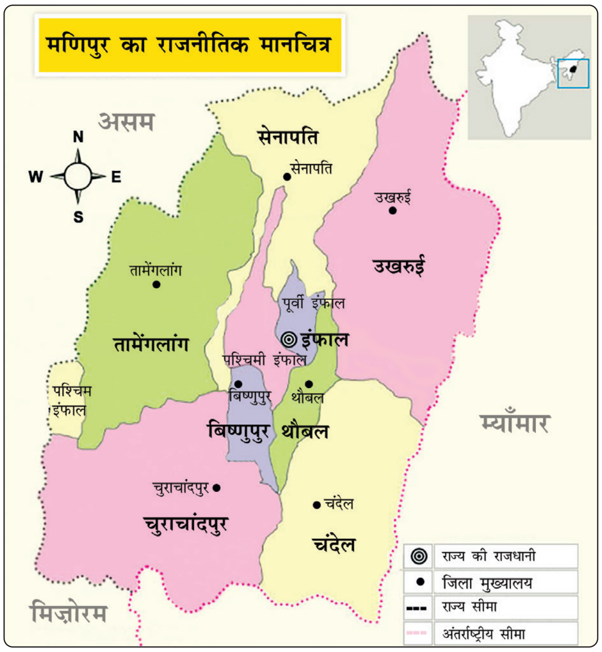

- **इतिहास** (History): मणिपुर 1891 में ब्रिटिश शासन के तहत एक रियासत बन गया, जो ब्रिटिश भारत में शामिल होने

वाले स्वतंत्र राज्यों में से अंतिम था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, मणिपुर जापानी और मित्र देशों की सेनाओं के बीच लड़ाई का स्थल था। 15 अक्टूबर, 1949 को मणिपुर साम्राज्य का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। इसे 1956 में केंद्र-शासित प्रदेश और 1972 में पूर्ण राज्य बना दिया गया।

- **उग्रवाद** (Insurgency): मणिपुर में उग्रवाद के उदय का औपचारिक रूप से पता 24 नवंबर, 1964 को यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) के गठन से लगाया जाता है, जब नागा और मिज़ो विप्लवकारियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी गतिविधियाँ तेज़ कर दी थीं। मणिपुर में असंतोष का मूल कारण मणिपुर के कथित "ज़बरन" विलय और क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में देरी में खोजा जा सकता है, जिससे स्थानीय आबादी में आक्रोश था।
- **पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों के अंतर** (Differences of the Hill and the Valley Areas): घाटी क्षेत्र में ज़्यादातर मैतेई और मणिपुर के मुसलमान रहते हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से पंगल कहा जाता है। इसके विपरीत पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर में नागाओं और दक्षिण में कुकी एवं मिज़ो सहित अन्य आदिवासियों द्वारा बसा हुआ है। ये पहाड़ी जनजातियाँ आमतौर पर बैपटिस्ट प्रोटेस्टेंट (Baptist Protestants) हैं, जबकि मैतेई लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं।
- मणिपुर में दो तरह के विद्रोही समूह हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF), और पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (PREPAK) जैसे घाटी स्थित समूह एक अलग, स्वतंत्र मणिपुर चाहते हैं। ये नागालिम (वृहद् नागालैंड) के विचार का समर्थन नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ओर, पहाड़ी-आधारित समूह NSCN(K) हिंसा का समर्थन करते हैं और ग्रेटर नागालिम का लक्ष्य रखते हैं, जिसमें राज्यों में नागा-निवास वाले क्षेत्रों को एकजुट करना शामिल है। इन समूहों के अलग-अलग लक्ष्य हैं, जिससे मणिपुर में एक जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई है।

मणिपुर में हालिया जनजातीय हिंसा (Recent Tribal Violence in Manipur)

- भारत के उत्तर-पूर्वी प्रांत मणिपुर में हाल ही में कई नृजातीय समूहों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है।
- **संघर्ष की पृष्ठभूमि:**
  - **मणिपुर उच्च न्यायालय का आदेश:** मणिपुर उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची में शामिल करने के लिए कहा था। इस आदेश का कई समुदायों द्वारा विरोध किया गया।
  - हालाँकि, मैतेई और आदिवासी लोगों के मध्य लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के कारण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियाँ पहले से ही व्याप्त थीं।
- **मैतेई के संबंध में:** मणिपुर में, गैर-आदिवासी मैतेई लोग बहुसंख्यक हैं, जो राज्य की आबादी का 64% से अधिक हैं। वे घाटी क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जो मणिपुर के लगभग 10% भूमि क्षेत्र को कवर करता है। मैतेई समुदाय महत्त्वपूर्ण प्रभाव रखता है, जो राज्य के 60 विधान सभा सदस्यों (MLA) में से 40 का योगदान देता है।
- **आदिवासियों के बारे में:** आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त जनजातियों की 35% से अधिक आबादी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जो राज्य के 90% क्षेत्र पर निवास करती है किंतु इसका विधानसभा में केवल 20% ही प्रीतिनिधित्व है।
- मणिपुर में, 33 मान्यता प्राप्त जनजातियाँ हैं, जिन्हें व्यापक तौर पर "किसी नागा जनजाति" और "किसी कुकी जनजाति" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नागा और कुकी श्रेणियों से संबंधित इन जनजातियों में से अधिकांश मुख्य रूप से ईसाई हैं। दूसरी ओर, मैतेई समुदाय, जिसमें मुस्लिम और हिंदू शामिल हैं, राज्य में आबादी का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। यह धार्मिक विविधता मणिपुर की सांस्कृतिक विविधता को जोड़ती है।
- **आरक्षण मुद्दा:**
  - **मैतेई की माँगें:** 2012 से, मैतेई जो इंफाल घाटी में रहते हैं और राज्य की आबादी का लगभग 64% हैं। मैतेई ने एसटी (ST) दर्जे की माँग की है।
  - **जनजातीय समूहों का विरोध:** एसटी वर्गीकरण के लिए मैतेई की आकांक्षा का विरोध उन जनजातीय लोगों द्वारा किया जाता है जो पास की पहाड़ियों में रहते हैं और आबादी का 35% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। उन्हें चिंता है कि इससे राजनीतिक सत्ता, आरक्षण से मिलने वाले लाभ और भूमि अधिकारों तक उनकी पहुँच कम हो जाएगी।

3.6.6 नागालैंड (Nagaland)

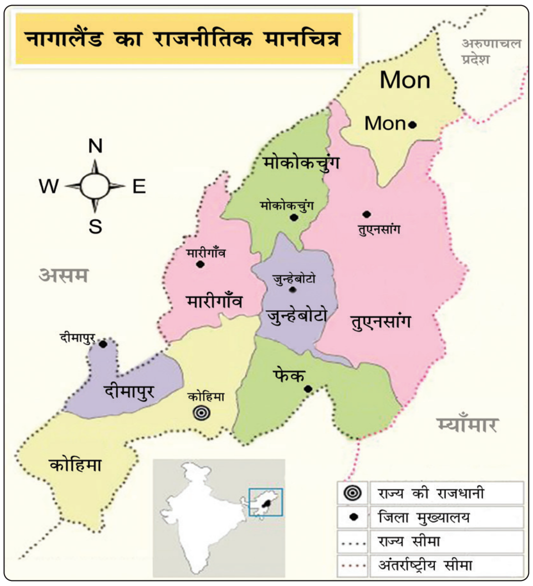

- **इतिहास** (History): ब्रिटिश ने 1826 में असम पर नियंत्रण स्थापित किया था और 1881 में नागा पहाड़ियाँ भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गईं। नागा प्रतिरोध का पहला उदाहरण 1918 में नागा क्लब के गठन के रूप में देखने को मिला। इस क्लब ने 1929 में साइमन कमीशन से अनुरोध किया था कि "प्राचीन काल की तरह हमें अपने लिए निर्णय लेने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए"। सभी नागाओं को एक छत के नीचे एकजुट करने के लिए, 1946 में अंगामी जापू फ़िज़ो (Angami Zapu Phizo) के नेतृत्त्व में नागा राष्ट्रीय परिषद् (NNC) का गठन किया गया था।
- **राज्य का दर्जा** (Statehood): भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, मोकोकचुंग उप-मंडल (Mokokchung sub-division) की एक चौकी के रूप में एक अलग तुएनसांग प्रशासनिक सर्कल स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय तुएनसांग (Tuensang) में था। 1957 में, तुएनसांग को NEFA से नागा हिल्स में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे नागा हिल्स तुएनसांग क्षेत्र (NHTA) नामक एक नई प्रशासनिक इकाई का गठन हुआ और यह एक केंद्र-शासित प्रदेश बन गया। जुलाई 1960 में, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और नागा पीपुल्स कन्वेंशन (NPC) के नेताओं के बीच चर्चा के बाद, 16-सूत्री समझौता हुआ। इस समझौते के कारण भारत सरकार द्वारा नागालैंड को भारतीय संघ के भीतर एक पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता दी गई। 1 दिसंबर, 1963 को नागालैंड आधिकारिक तौर पर भारतीय संघ का 16वाँ राज्य बन गया।
- **विप्लव आंदोलन** (Insurgency Movements): नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN) की स्थापना 1980 में हुई थी। हालाँकि, समूह शांति समझौते पर सहमत नहीं था, और उनकी गतिविधियों में कर संग्रह और कर्मियों की भर्ती शामिल थी। 1988 में, NSCN के भीतर एक विभाजन हुआ, जिससे दो गुटों का निर्माण हुआ: एनएससीएन (इस्साक - मुइवा) [NSCN (Issac – Muivah)] और एनएससीएन (खापलांग) [NSCN (Khaplang)]। यह विभाजन जनजातीय आधार पर था, जिसमें तंगकुल और सेमास (NSCN (IM) में शामिल हो गए (NSCN (K) में वे कोन्याक से अलग हो कर गए। (NSCN (IM) मणिपुर में उखरुल जिले के पास और नागालैंड-असम सीमा के पास म्याँमार में स्थानांतरित हो गया। इस बीच, NSCN (K) ने म्याँमार में अपना आधार बनाए रखा। 2011 में NSCN (K) के भीतर और भी आंतरिक विभाजन हुए।

एनएससीएन (इस्साक-मुइवा) की माँगें [Demands of NSCN (IM)]

"ग्रेटर नागालिम" (Greater Nagalim) में नागालैंड के साथ-साथ "सभी सन्निहित नागा आबादी वाले क्षेत्र" शामिल हैं। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कई जिलों के साथ-साथ म्याँमार का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा भी शामिल है। "ग्रेटर नागालिम" का प्रस्तावित मानचित्र लगभग 1,20,000 वर्ग किमी को कवर करता है, जबकि नागालैंड की वर्तमान स्थिति 16,527 वर्ग किमी है। इस माँग ने असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में चिंताएँ बढ़ा दी हैं, क्योंकि इसका तात्पर्य संभावित क्षेत्रीय परिवर्तन है।

नागालैंड विधानसभा ने 'ग्रेटर नागालिम' की माँग का समर्थन किया है, जिसमें सभी नागा-बसे हुए क्षेत्रों को एक ही प्रशासनिक छतरी के नीचे एकीकृत करने का आह्वान किया गया है। यह समर्थन कई बार किया गया है, जिसमें दिसंबर 1964, अगस्त 1970, सितंबर 1994, दिसंबर 2003 और हाल ही में 27 जुलाई, 2015 शामिल है।

भारत सरकार और NSCN (IM) के बीच 25 जुलाई, 1997 को एक युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो 1 अगस्त, 1997 को लागू हुआ। इसके बाद, दोनों पक्षों के बीच 80 से अधिक दौर की वार्ता हुई, जिसमें इस समस्या को हल करने का प्रयास किया गया।

- **शांति प्रक्रिया** (Peace Process): जुलाई 1960 में भारत सरकार और नागा पीपुल्स कन्वेंशन के मध्य 16-सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके पश्चात्, कई चर्चाओं के उपरांत, दिसंबर 1997 में भारत सरकार और NSCN (IM) के मध्य युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और 2001 में NSCN (K) के साथ हस्ताक्षर किए गए। विभाजन के बाद, 2012 में NSCN (K) और GPRN/NSCN के साथ भारत सरकार द्वारा अलग-अलग युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जबकि NSCN (IM) के साथ युद्धविराम अनिश्चितकालीन है, किंतु NSCN (K) और GPRN/NSCN के साथ किए गए समझौतों को वार्षिक नवीनीकरण की आवश्यकता होती है।

नागा शांति समझौता (NAGA Peace Accord)

उत्पत्ति: उग्रवाद को समाप्त करने के लिए भारत सरकार और NSCN द्वारा अगस्त 2015 में हस्ताक्षरित।

- **आधार:** नागाओं के "अनूठे" इतिहास और संस्कृति के आधार पर, यह सार्वभौमिक सिद्धांत को मान्यता देता है कि लोकतंत्र में, संप्रभुता लोगों के पास होती है।
- **शांति बहाल करने की शपथ:** NSCN ने "ग्रेटर नागालिम" (Greater Nagalim) की अपनी माँग छोड़ दी और भारत के संविधान के प्रति निष्ठा प्रस्तुत करने की शपथ ली।
- **जनादेश:** यह नागा लोगों के लिए गरिमा, अवसर और समानता के जीवन को आगे बढ़ाएगा, जो उनकी प्रतिभा पर आधारित होगा तथा नागा लोगों और उनकी संस्कृति और परंपराओं की विशिष्टता के अनुरूप होगा।
- **निष्कर्ष:** हालाँकि, NSCN (IM) की एक पृथक् नागा ध्वज और संविधान की माँग ने लंबे समय से चले आ रहे नागा राजनीतिक मुद्दे संबंधी अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होने से बाधित किया है।

3.6.7 त्रिपुरा (Tripura)

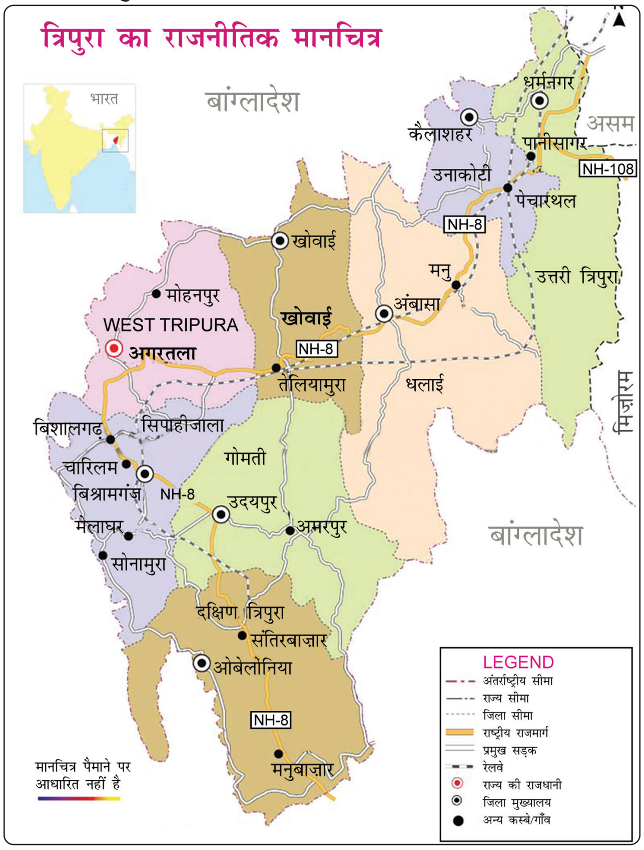

- **इतिहास** (History): त्रिपुरा, शुरू में एक रियासत थी, आज़ादी के समय भारतीय संघ में शामिल हो गई, और इसका प्रशासन अक्टूबर 1949 में भारत द्वारा संभाला गया। बाद में इसे 1 नवंबर, 1956 को केंद्र-शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। अंततः, 21 जनवरी, 1972 को, त्रिपुरा भारतीय संघ के अंतर्गत एक पूर्ण राज्य बन गया।
- **विप्लव/विद्रोह** (Insurgency):
  1. त्रिपुरा में उग्रवाद अवैध प्रवासन के मुद्दे से जुड़ा हुआ है।
  2. मई 1967 में, त्रिपुरा उपजति जुबा समिति (Tripura Upajati Juba Samiti: TUJS), एक आदिवासी पार्टी बनकर उभरी, जो त्रिपुरा में संविधान की पाँचवीं अनुसूची (आदिवासी स्वायत्तता प्रदान करने) को लागू करने की वकालत कर रही थी। दिसंबर 1978 में, सशस्त्र साधनों के माध्यम से त्रिपुरा की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स (TNV) का गठन किया गया था। इसके बाद, जुलाई 1985 में संविधान की छठी अनुसूची के तहत एक स्वायत्त जिला परिषद् की स्थापना की गई। पूरे राज्य को 29 जनवरी, 1988 को एक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। जून 1988 में त्रिपुरा में दंगे हुए, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1300 लोग मारे गए, जिनमें मुख्य रूप से TNV द्वारा बंगालियों का नृजातीय सफाया माना जाता था, जिसे बाद में भंग कर दिया गया। 1989 और 1990 में, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फ़ोर्स (ATTF) का गठन किया गया था, और वे आज भी मौजूद हैं।

ब्रू-रियांग शरणार्थी संकट (Bru-Reang Refugee Crisis)

- 1997 से 40,000 से अधिक ब्रू उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर उप-मंडल में छह शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। पड़ोसी राज्य मिज़ोरम में नृजातीय हिंसा से बचने के बाद उन्होंने त्रिपुरा में शरण ली।
  - 30 नवंबर, 2019 तक नौ चरणों की स्वदेश वापसी के बाद लगभग 7,000 शरणार्थी ही मिज़ोरम लौट पाए हैं।
- मिज़ोरम में असुरक्षा और रहने की दयनीय स्थिति के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए, अधिकांश ब्रू लोगों ने केंद्र द्वारा प्रस्तावित पुनर्वास पैकेज को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने त्रिपुरा में राहत शिविर छोड़ने की पूर्व शर्त के रूप में समुदाय के लिए एक स्वायत्त परिषद् के निर्माण की माँग रखी है।
  - मिज़ोरम लौटे विस्थापित ब्रू लोगों ने पहले से ही त्रिपुरा राहत शिविरों में रुके लोगों के बराबर पैकेज की माँग शुरू कर दी है।
- त्रिपुरा में ब्रू और स्थानीय बंगाली गैर-आदिवासी लोगों के बीच संघर्ष होने लगे हैं।
- मिज़ोरम में, उन्हें नृजातीय संगठनों द्वारा निशाना बनाया गया, जिन्होंने माँग की कि ब्रू लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा जाए।
  - 1995 में बहुसंख्यक मिज़ो लोगों के साथ संघर्ष के कारण मिज़ोरम की मतदाता सूची से गैर-स्वदेशी माने जाने वाले ब्रू लोगों को हटाने की माँग उठी।
  - इसके कारण ब्रू संगठन द्वारा एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया गया, जिसने अक्टूबर 1997 में एक मिज़ो वन अधिकारी की हत्या कर दी।

सरकार द्वारा उठाया गया कदम (Step taken by the Government)

- जनवरी 2020 में, त्रिपुरा में ब्रू लोगों के निपटान के लिए त्रिपुरा, मिज़ोरम और केंद्र सरकार के साथ-साथ ब्रू संगठनों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य विस्थापित शरणार्थियों को त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसने की अनुमति देकर लगभग 40,000 ब्रू लोगों से जुड़े गतिरोध को हल करना है।

3.7 विप्लव/विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारक (Factors Causing Insurgency)

3.7.1 ऐतिहासिक कारक (Historical Factors)

A. **ब्रिटिश नीतियाँ** (British Policies)

पूर्वोत्तर के राज्यों को ढीले-ढाले सीमांत क्षेत्र के रूप में प्रशासित करने की ब्रिटिश नीति ने मुख्य भूमि भारत और पूर्वोत्तर भारत के लोगों के बीच संपर्क एवं मेल-मिलाप को समाप्त कर दिया, जिससे पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों में अलगाव की भावना उत्पन्न हुई।

B. **इनर लाइन परमिट विनियमन** (Inner Line Permit Regulation)

इनर लाइन परमिट (ILP) विनियमन एक विशेष पास या परमिट है, जो पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम

में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है। यह प्रणाली ब्रिटिशों द्वारा विशेष रूप से तेल तथा चाय क्षेत्रों में अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए शुरू की गई थी जो अब भी आदिवासी लोगों और उनकी संस्कृतियों को बाहरी लोगों से दूर रखने के लिए एक तंत्र के रूप में जारी है।

C. **पिछड़े क्षेत्र** (Backward Tracts)

1918 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट (Montague Chelmsford Report) की सिफारिशों के अनुसार, काउंसिल में गवर्नर-जनरल को कुछ क्षेत्रों को 'पिछड़े क्षेत्रों' (Backward tract) के रूप में नामित करने का अधिकार प्राप्त हुआ और वे उन्हें विशिष्ट विधायी कृत्यों के आवेदन से छूट दे सकते थे। इसके परिणामस्वरूप, गारो हिल्स जिला, खासी और जयंतिया हिल्स जिला (शिलांग नगर पालिका और छावनी क्षेत्र को छोड़कर), मिकिर हिल्स, उत्तरी कछार हिल्स, नागा हिल्स जिला, लुशाई हिल्स जिला, और सदिया, सलीपारा और लखीमपुर सीमांत क्षेत्र सहित कई क्षेत्र, को 'पिछड़ा क्षेत्र' घोषित किया गया।

1930 में, साइमन कमीशन, जिसे भारतीय वैधानिक आयोग के रूप में भी जाना जाता है, ने इन पिछड़े क्षेत्रों की प्रशासनिक स्थिति की जाँच की और सिफारिशें प्रदान कीं, जिन्हें बाद में भारत सरकार अधिनियम, 1935 में शामिल किया गया। 1936 में, इन पिछड़े क्षेत्रों को "वर्जित" (Excluded) और "आंशिक रूप से वर्जित" (Partially excluded) क्षेत्रों में पुनर्वर्गीकृत किया गया। इन क्षेत्रों में आबादी के अलगाव से नस्लीय भावना बढ़ी, जो भविष्य के विद्रोह आंदोलनों के लिए एक महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रही है।

D. **स्वतंत्रता के पश्चात् राजनीतिक एकीकरण** (Political Integration Post-Independence)

पूर्वोत्तर भारत, भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में नृजातीय, भाषायी और सांस्कृतिक रूप से अलग क्षेत्र के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। 1950 के दशक में राज्य की सीमाओं के परिसीमन के दौरान क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन ने नृजातीय और सांस्कृतिक विशिष्टताओं पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया। इस निरीक्षण के परिणामस्वरूप असंतोष और क्षेत्रीय पहचान के रूप में नए मुद्दे सामने आए। परिणामस्वरूप, नवगठित भारतीय राष्ट्र-राज्य की स्थापना से ही पूर्वोत्तर के लोगों ने बड़े भारतीय राष्ट्र-राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा की कमी प्रदर्शित की।

3.7.2 भौगोलिक कारक (Geographical Factors)

A. **छिद्रित अंतर्राष्ट्रीय सीमा** (Porous International Border)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में चीन, बांग्लादेश, म्याँमार, भूटान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमा शामिल है। नदी पर सीमा का सीमांकन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है।

B. **घने वन** (Dense forests)

इस क्षेत्र में व्यापक वन क्षेत्र है और यह घनी वनस्पति स्थलीय और हवाई अवलोकन दोनों को सीमित करती है।

C. **असुगम भू-भाग** (Difficult Terrain)

पूर्वोत्तर क्षेत्र अर्द्ध पहाड़ी है जो खड़ी ढलानों घने वनों, बारहमासी और मौसमी नदियों तथा कई झरनों से ढका है।

3.7.3 सांस्कृतिक कारक (Cultural Factors)

A. **जटिल नृजातीय संबंध** (Complex Ethnic Relations)

नृजातीय विविधता पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख पहलू है इस क्षेत्र में कई जनजातियाँ रहती हैं और सैकड़ों विविध भाषाएँ बोलती हैं। पिछले दो दशकों में, विशेष रूप से असम ने पाँच प्रमुख नृजातीय संघर्षों का अनुभव किया है। इन संघर्षों में 1993, 1996 और 1998 में बोडो और संथालों के बीच झड़पें, साथ ही 2003 में कार्बियों और कुकियों के बीच तनाव शामिल हैं। इसके अलावा, 2005 में कार्बियों और डेमसास के बीच भी संघर्ष हुए थे।

B. **पहचान** (Identity)

पूर्वोत्तर भारत में, पहचान का संघर्ष मुख्य रूप से नृजातीय दावे, पुनरुत्थानवाद और एक अलग स्थान की तलाश से प्रेरित है। क्षेत्र में विविध नृजातीय समूह अकसर अपनी विशिष्ट पहचान पर बल देने, सांस्कृतिक प्रथाओं को पुनर्जीवित करने और स्वायत्तता या अलग क्षेत्रीय संस्थाओं की माँग में करते रहते हैं।

C. **जनसांख्यिकी** (Demography)

प्रवासियों के आगमन, विकासात्मक परियोजनाओं के कारण विस्थापन और संसाधनों के दोहन के कारण होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति पैदा हुई है। त्रिपुरा में, 1980 के बाद से, इस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों और गैर-आदिवासी बंगालियों के मध्य नृजातीय संघर्ष देखने को मिलते हैं। यह संघर्ष मुख्य रूप से 1949 के बाद त्रिपुरा पहुँचे बंगाली आप्रवासियों के निष्कासन के आस-पास घूमता है, जो क्षेत्र में जनसांख्यिकीय बदलाव और पहचान संबंधी चिंताओं से उत्पन्न जटिलताओं को उजागर करता है।

3.7.4 सामाजिक कारक (Social Factors)

A. **नृजातीय-राष्ट्रवाद** (Ethno-Nationalism): नृजातीय-राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के साथ एकीकरण की कमी पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह का एक प्रमुख कारण रहा है। इसका मुख्य कारण इन राज्यों को मुख्यधारा के राष्ट्रवादी आंदोलन से अलग करने की ब्रिटिश नीति थी।

B. **अलगाव की भावना** (Alienation): अलगाव और मुख्य भूमि से कटे होने के ऐतिहासिक कारणों से, पूर्वोत्तर के लोग देश के बाकी हिस्सों से अलग-थलग महसूस करते हैं। देश

के अन्य हिस्सों में, यहाँ तक कि राजधानी में भी पूर्वोत्तर के लोगों के विरुद्ध हिंसा की घटनाएँ सामने आई हैं।

C. **सुविधाओं की कमी** (Deprivation): पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई संघर्षों की जड़ें सामाजिक-आर्थिक हैं। पेयजल, शौचालय सुविधाओं तथा विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच में असमानताएँ महत्त्वपूर्ण राज्य-स्तरीय विविधताओं को उजागर करती हैं। ये सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ तनाव और संघर्ष में योगदान करती हैं, क्योंकि समुदाय दूसरों की तुलना में हाशिए पर या वंचित महसूस कर सकते हैं।

तीन बुनियादी सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में विद्युत की पहुँच में असमानता शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक है।

3.7.5 आप्रवासन संबंधित कारक (Immigration Factors)

A. **बाह्य** (External)

पूर्वोत्तर क्षेत्र लगातार चुनौतीपूर्ण अवैध आप्रवासन की समस्या से जूझ रहा है। विशेष रूप से असम, बांग्लादेश से लगातार अवैध अप्रवासियों से पीड़ित रहा है, जिसके कारण असम में 1970 के दशक के अंत से 1980 के दशक के मध्य तक 'विदेशी-विरोधी' (Anti-foreigner) आंदोलन देखा जा सकता है। इस आंदोलन का उद्देश्य अवैध अप्रवासियों की समस्या को संबोधित करना था और बाद में इसे असम समझौते के माध्यम से संबोधित किया गया। 1985 में असम आंदोलन के नेताओं और प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के नेतृत्त्व वाली केंद्र सरकार के बीच हस्ताक्षरित इस समझौते का उद्देश्य, इस मुद्दे को हल करना था। हालाँकि, समझौते की शर्तों के कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और घुसपैठ की समस्या क्षेत्र में लगातार चिंता का विषय बनी हुई है।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizen-NRC)
• राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizen-NRC) प्रक्रिया का उद्देश्य मुख्य रूप से बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों का समाधान करना है। प्रारंभ में नागरिकों, उनके निवासों और संपत्तियों के दस्तावेज़ीकरण के लिए 1951 में प्रकाशित, NRC को अद्यतन करने के आह्वान ने असम आंदोलन (1979-1985) के दौरान ज़ोर पकड़ लिया।
• असम समझौते के बाद 1955 के नागरिकता अधिनियम (The Citizenship Act of 1955) में संशोधन किया गया। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, 1 जनवरी, 1966 से पहले बांग्लादेश से प्रवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को स्वचालित रूप से नागरिक माना जाना था। 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच आने वाले लोग, पंजीकरण के अधीन, राज्य में 10 वर्ष का निवास पूरा करने के बाद नागरिकता के लिए पात्र थे। हालाँकि, 25 मार्च, 1971 के बाद प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को निर्वासन के लिए निर्धारित किया गया था। इन उपायों का उद्देश्य बांग्लादेश से असम में प्रवास के संदर्भ में नागरिकता के जटिल मुद्दे को संबोधित करना था।
• असम में अद्यतन राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अंतिम मसौदे में 2.89 करोड़ नागरिकों को सूचीबद्ध किया गया है। ये शामिल किए जाने वाले 3.29 करोड़ आवेदकों में से थे।

B. **आंतरिक** (Internal)

भारत के अन्य हिस्सों से दीर्घकालिक आवास प्रवासन ने स्वदेशी विस्थापन तथा मध्यम वर्ग के उद्‌भव के साथ मिलकर उत्तर-पूर्व क्षेत्र में आंतरिक तनाव तथा सदियों पुराने आदिवासी विवादों को भी बढ़ा दिया है।।

3.7.6 आर्थिक कारक (Economical Factors)

A. **बेरोजगारी** (Unemployment)

कोयला और जलविद्युत क्षमता जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध पूर्वोत्तर राज्य लगातार गरीबी से जूझ रहे हैं। आर्थिक चुनौतियाँ उच्च बेरोजगारी दर में परिलक्षित होती हैं। त्रिपुरा के शहरी क्षेत्रों में भारत की सबसे अधिक बेरोजगारी दर 25.2% दर्ज की गई है, जोकि 2011-12 में नागालैंड की 23.8% दर के बाद दूसरे स्थान पर है।

B. **निम्न आर्थिक विकास** (Low Economic Development)

पूर्वोत्तर क्षेत्र के निम्न स्तर के आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय कम और बेरोजगारी दर उच्च है। पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों में अप्रयुक्त क्षमता का कम उपयोग किया गया है। क्षेत्र के विशाल प्राकृतिक संसाधन विकास के लिए महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करते हैं। हालाँकि, मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के कारण युवा वर्ग विद्रोही समूहों के प्रति आकर्षित हो जाता है। पूर्वोत्तर में आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र की प्राकृतिक क्षमता को उजागर करना और उसका दोहन करना महत्त्वपूर्ण है।

3.7.7 राजनीतिक कारक (Political Factors)

A. **उग्रवाद को राजनीतिक समर्थन** (Political backing to insurgency)

1. वोट बैंक की राजनीति के परिणामस्वरूप अकसर राजनीतिक नेता संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए विभिन्न विद्रोही समूहों का समर्थन करते हैं, जिससे सामाजिक सद्‌भाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
2. राजनीतिक व्यवस्था कभी-कभी एक उग्रवादी समूह को दूसरे की तुलना में अधिक तरजीह देती है, आर्थिक और राजनीतिक रियायतें प्रदान करती है। बोडो-बहुल क्षेत्रों में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् (Bodoland Territorial Council) के गठन के बावजूद, बोडो उग्रवादी NFDB जैसे समूहों के माध्यम से अभियान जारी रखते हैं।
3. विभिन्न उग्रवादी समूहों द्वारा ग्रेटर नागालिम की माँग के समर्थन ने, प्रत्येक की अपनी परिभाषा के साथ, नागा समूहों के मध्य संघर्ष को जन्म दिया है और पड़ोसी राज्यों में अन्य उग्रवादी समूहों के बीच चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
4. भारत सरकार ऐतिहासिक रूप से विद्रोही समूहों से अलग से निपटी है और संचालन को निलंबित करने तथा राजनीतिक

भागीदारी की अनुमति देने जैसे समझौते किए हैं। नागा वार्ता के लिए आर. एन. रवि जैसे विभिन्न वार्ताकारों को बातचीत के लिए नियुक्त किया गया है।

B. **दूरदर्शी नेतृत्त्व का अभाव** (Lack of Visionary Leadership)

1. राज्यों का राजनीतिक नेतृत्त्व अकसर विप्लव और उग्रवाद से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करते हुए केंद्र सरकार पर निर्भर रहता है। संघ की प्रतिक्रिया कभी-कभी विलंबित और अपर्याप्त होती है, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक समाधानों के बजाय सशस्त्र प्रतिक्रियाओं के साथ लंबे समय तक संघर्ष होता है।
2. 1986 में राजीव-लालडेंगा समझौते (Rajiv-Laldenga agreement) के माध्यम से मिज़ोरम में राजनीतिक समाधान प्राप्त हुआ, जिससे क्षेत्र में शांति आई। हालाँकि, 1985 के असम समझौते के बावजूद, लगातार राजनीतिक नेताओं ने असम में राजनीतिक तरीकों से संघर्षों को हल करने के लिए संघर्ष किया है।

C. **राजनैतिक अस्थिरता** (Political Instability)

विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए नृजातीय समूहों का समर्थन अस्थिर रहा है, जो राजनीतिक अस्थिरता में योगदान दे रहा है। राज्य स्तर पर यह अस्थिरता स्थानीय नेतृत्त्व को समस्याओं को व्यापक रूप से संबोधित करने से रोकती है, अकसर तुष्टीकरण नीतियों का सहारा लेती है, जो दूसरों की कीमत पर कुछ समूहों का पक्ष लेती हैं। विभिन्न नृजातीय समूहों के बीच तीव्र सत्ता संघर्ष और झड़पों ने क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की है।

3.7.8 शासन संबंधित कारक (Governance Factors)

बुनियादी ढाँचे के मुद्दे, निम्न सेवा वितरण और संपर्क सुविधाओं की कमी शासन में एक बड़ी समस्या रही है। फ़र्जी मुठभेड़ों और अफस्पा (AFSPA) के मुद्दों का क्षेत्र के विभिन्न वर्गों द्वारा विरोध किया गया है।

A. **बुनियादी सुविधाओं का अभाव** (Lack of Basic Amenities)

सुदृढ़ संपर्क सुविधा का अभाव पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने में बाधा बना हुआ है। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और स्वच्छता जैसे प्रमुख मुद्दे व्याप्त रहे हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में विद्रोही समूहों ने व्यापार और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित करने के लिए नाकेबंदी की है, जैसा कि मणिपुर में नागा नाकाबंदी जैसी घटनाओं में देखा गया है।

B. **भ्रष्टाचार** (Corruption)

भ्रष्टाचार के कारण नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। भ्रष्टाचार ने क्षेत्र में शासन को भी नुकसान पहुँचाया है, जिससे जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ है।

3.8 उग्रवाद के बने रहने के कारण (Reasons for Survival of Insurgency)

3.8.1 राजनीतिक प्रेरणाएँ (Political Motivations)

राजनीतिक प्रेरणाएँ इस क्षेत्र में उग्रवाद के बने रहने का सबसे मज़बूत कारण रही हैं। यहाँ दर्जनों नृजातीय समूह और जनजातियाँ हैं। स्वायत्त जिला परिषदों और राज्य सरकार के रूप में मौजूदा संस्थान इन सभी समूहों को समायोजित करने के लिए अपर्याप्त हैं। सभी समूहों के लिए स्वायत्त परिषदों का गठन भी संभव नहीं है। इसलिए राजनीतिक प्रेरणाओं का परिणाम अलग जिला परिषदों, राज्य या यहाँ तक कि एक अलग देश की माँग के रूप में होता है।

- बोडो समूह मौजूदा बोड़ोलैंड क्षेत्रीय परिषद् (Bodoland Territorial Council) से संतुष्ट नहीं हैं। प्रवासी समूहों को अकसर निशाना बनाया जाता है, क्योंकि वे BTC के भीतर चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं।
- कुकी विद्रोही संविधान के तहत राज्य के भीतर एक राज्य चाहते हैं, क्योंकि वे नागालैंड में ग्रेटर नागालिम के लिए चल रही बातचीत में स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।

3.8.2 शस्त्रों की उपलब्धता (Availability of Arms)

- दक्षिण-पूर्व एशिया से अत्याधुनिक हथियारों की आसान उपलब्धता के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद लंबे समय से कायम है।
- पूर्वोत्तर भारत में हथियारों की आसान उपलब्धता NSCN-K, ULFA और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) को अपने सशस्त्र आंदोलनों को बनाए रखने में सक्षम बनाती है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र के अनुमानित 640 मिलियन अवैध हथियारों में से 40 मिलियन छोटे हथियार अकेले भारत में उपलब्ध हैं, जिसमें से 32 प्रतिशत छोटे हथियार मणिपुर में हैं।
- चीनी हथियार निर्माता कंपनियाँ नियमित रूप से पूर्वोत्तर भारत में विप्लवकारियों को छोटे हथियार विक्रय करती हैं।
- नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN-IM) के विरुद्ध 26 मार्च, 2011 को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा दायर आरोप-पत्र से पता चला कि विद्रोही समूह सक्रिय रूप से चीनी कंपनियों से हथियार खरीद रहा था।

3.8.3 लोकप्रिय समर्थन आधार (Popular Support Base)

दरअसल, लोकप्रिय समर्थन आधार विद्रोह की गतिशीलता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्रोही समूह अकसर अपनी लक्षित आबादी से समर्थन हासिल करने या कथित विरोधियों को डराने के लिए रणनीतिक रूप से हिंसा का उपयोग करते हैं। उल्फा के मामले में, हिंसा का सहारा लेना, जैसे कि गैर-असमिया हिंदी

भाषी व्यक्तियों को निशाना बनाना, भय पैदा करने, प्रभुत्व का दावा करने और समूह के उद्देश्यों के साथ संरेखित एक विशिष्ट नृजातीय या क्षेत्रीय समुदाय से समर्थन हासिल करने की एक रणनीति हो सकती है।

3.8.4 भूगोल और भू-भाग (Geography and Terrain)

- **सिलीगुड़ी गलियारा:** संकीर्ण सिलीगुड़ी गलियारा, जिसे "चिकन नेक (Chicken Neck)" भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर और शेष भारत के बीच एकमात्र भूमि लिंक के रूप में कार्य करता है। यह पूर्वोत्तर के भू-आबद्ध क्षेत्र को आर्थिक क्षति पहुँचाता है, क्योंकि सीमा पार व्यापार भी यह अधिक फल-फूल नहीं पा रहा है।
- **दुर्गम भू-भाग:** पूर्वोत्तर में कठिन और ऊबड़-खाबड़ इलाका दोहरी चुनौती पेश करता है। सबसे पहले, यह आवश्यक बुनियादी ढाँचे के विकास में बाधा डालता है, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को अवरुद्ध करता है। दूसरे, विद्रोही समूहों को आधार, प्रशिक्षण शिविर स्थापित करने और अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है।

3.8.5 बाह्य सहयोग (External Support)

यह क्षेत्र अवैध ड्रग्स उत्पादन के स्वर्णिम त्रिभुज के पास है, साथ ही पश्चिम और दक्षिण एशिया के लिए पारगमन के रूप में कार्य करता है। नशीली दवाओं के तस्करों ने विद्रोही समूहों के साथ गठबंधन स्थापित कर लिया है। अकसर यह देखा गया है कि उग्रवाद विरोधी अभियानों में बड़ी सफलताएँ तभी मिली हैं, जब पड़ोसी देशों ने भारत सरकार के साथ सहयोग किया। उदाहरण के लिए, 1990 के दशक के दौरान भूटान में शरण लेने की माँग करने वाले असमिया विप्लवकारियों पर तभी अंकुश लगाया जा सका, जब भूटान की सरकार पर आक्रामक कदम उठाने और 2003 के ऑपरेशन ऑल क्लियर (Operation All Clear) में शिविरों को नष्ट करने के लिए राजनयिक दबाव डाला गया था। इसी तरह, 2011 में ही ULFA को लेकर बांग्लादेश सरकार पर राजनयिक दबाव डाला गया था, जिससे बांग्लादेश सरकार ने सीमा पार ULFA के संचालन को बंद करवाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

3.9 सशस्त्र नृजातीय विद्रोह पर राज्य की प्रतिक्रिया (State's Response to Armed Ethnic Insurgency)

3.9.1 बल का आनुपातिक उपयोग (Proportionate use of Force)

सशस्त्र बलों की तैनाती, अर्द्ध-सैनिक बलों की स्थायी तैनाती, पड़ोसी देशों के साथ संपर्क के माध्यम से विद्रोह का मुकाबला करना।

3.9.2 संवाद और वार्ता का उपयोग (Use of Dialogues and Negotiations)

- पूर्वोत्तर में सशस्त्र संघर्षों पर सरकार की प्रतिक्रिया के लिए संवाद और वार्ता का उपयोग एक सतत् विकल्प रहा है।
- संवाद और वार्ता का उपयोग संघर्षों को सुलझाने में सफल साबित हुआ है, जैसा कि मिज़ो समझौते और त्रिपुरा मॉडल में देखा गया है।
- नागा संघर्ष के साथ संवाद और वार्ता का एक लंबा इतिहास रहा है, जो 1947 में अकबर हैदरी समझौते के साथ शुरू हुआ था। इन वर्षों में, शांति के विभिन्न प्रयास किए गए, जिनमें 1950 के दशक में नागरिक समाज की वार्ता, 1964 का नागा शांति मिशन और 1975 का शिलांग समझौता शामिल है। NSCN (IM) और NSCN (K) के साथ चल रही शांति वार्ता नागा संघर्ष से जुड़े जटिल मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।

ULFA के मामले में, सरकार ने जेल में बंद ULFA नेताओं को रिहा करके संवाद और वार्ता की दिशा में एक कदम उठाया। इस कदम के बाद संगठन के साथ "बिना शर्त बातचीत (Unconditional talks)" की गई, जो विद्रोही समूह द्वारा उठाए गए मुद्दों और चिंताओं को दूर करने के लिए रचनात्मक वार्ता प्रक्रिया में शामिल होने के प्रयास का संकेत देती है।

3.9.3 संरचनात्मक परिवर्तन (Structural Changes)

A. **जनजातीय पंचशील** (Tribal Panchsheel)

भारत सरकार ने पूर्वोत्तर में बड़े राज्य का दर्जा प्रदान करके संघर्षों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है। स्वतंत्रता के पश्चात्, जवाहर लाल नेहरू ने आदिवासियों की नीति हेतु निम्नलिखित पाँच सिद्धांत तैयार किए, जिन्हें जनजातीय पंचशील सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।

इसने व्यापक तौर पर नीतिगत ढाँचे का गठन किया, जिसके चारों ओर आदिवासी क्षेत्रों का विकास पूरा किया जाना था।

B. **स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्र एवं छठी अनुसूची** (Autonomous Administrative Areas and Sixth Schedule)

इन प्रावधानों ने स्वायत्तता की माँग को कुछ हद तक संतुष्ट किया है। इससे उनकी विशिष्ट संस्कृतियों और रीति-रिवाज़ों को संरक्षित करने और बनाए रखने में भी मदद मिली, जिससे शिकायतों का समाधान हुआ है।

C. **पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय** [Ministry for Development of North Eastern Region (MDoNER)]

इसे सितंबर, 2001 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास विभाग के रूप में स्थापित किया गया था और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समानता के साथ विकास सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए मई,

2004 में एक मंत्रालय में अपग्रेड किया गया था। इस मंत्रालय की महत्त्वपूर्ण गतिविधियों में शामिल हैं:

1. **पूर्वोत्तर परिषद्** (North Eastern Council: NEC): पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 के माध्यम से स्थापित, NEC पूर्वोत्तर क्षेत्र में संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। इसने 1972 में कार्य करना शुरू किया। सिक्किम को इसका हिस्सा बनाने के लिए 2002 में अधिनियम में संशोधन किया गया था।
2. **पूर्व की ओर देखो नीति** (Look East Policy): 'पूर्व की ओर देखो' नीति का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में समृद्धि को बढ़ावा देते हुए भूमि और समुद्र के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया तक आर्थिक विकास और व्यापार मार्गों को बढ़ावा देना है। यह नीति पूर्वोत्तर में उग्रवाद के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि यह लोगों को सशस्त्र समूहों द्वारा प्रक्षेपित हिंसक तरीकों को अस्वीकार करने और अपने जीवन में शांति और विकास को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।
3. **ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी** (Act East Policy): "ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी" का उद्देश्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर संपर्क के माध्यम से आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित करना है, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान की जा सके। ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी की प्राथमिकता भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है। यह नीति द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर केंद्रित है। प्रमुख पहलों में व्यापार, संस्कृति, लोगों से लोगों के बीच संपर्क तथा सड़कों, हवाई अड्डों, दूरसंचार एवं विद्युत सहित भौतिक बुनियादी ढाँचे के माध्यम से आसियान क्षेत्र के साथ संपर्क सुविधा को विकसित करना और मज़बूत करना शामिल है। भारत की ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी ने पूर्वोत्तर को एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए एशिया-प्रशांत के साथ क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, री-टिडिम रोड प्रोजेक्ट और बॉर्डर हाट सहित नीति के तहत कुछ प्रमुख परियोजनाएँ पूर्वोत्तर के माध्यम से आसियान और एशिया-प्रशांत के साथ संपर्क स्थापित करती हैं।
4. **मुक्त आवागमन प्रणाली** (Free Movement Regime): भारत-म्याँमार सीमा पर रहने वाले नृजातीय समुदायों की चिंताओं को दूर करने के लिए मुक्त आवागमन प्रणाली (FMR) की स्थापना की गई थी। 1935 में एक अलग राज्य के रूप में म्याँमार के गठन और 1947 में उप-महाद्वीप के विघटन के कारण इन समुदायों में विभाजन हुआ, जिन्होंने सीमा के दोनों ओर नृजातीय अल्पसंख्यक बन जाने के कारण असुरक्षा की गहरी भावना महसूस की। अधिक बातचीत को सुविधाजनक बनाने और इन चिंताओं को दूर करने के लिए, भारत और म्याँमार की सरकारों ने FMR की स्थापना की। इस व्यवस्था के तहत, लोगों को बिना किसी वीजा आवश्यकता के सीमा पार दोनों ओर 16 किमी॰ की यात्रा करने की अनुमति है।

D. **राजकोषीय उपाय** (Fiscal Measure)

- **"पूर्वोत्तर व्यापार शिखर सम्मेलन":** शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार के अवसरों को तलाशना है।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10% सकल बजटीय सहायता:** पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) यह सुनिश्चित करता है कि सभी गैर-छूट वाले केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अपने सकल बजटीय समर्थन (GBS) का कम-से-कम 10% आवंटित करें। इस नीति का लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट का एक विशिष्ट प्रतिशत आवंटित करना है।
- समावेशी और सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा पूर्वोत्तर के विकास के लिए उचित हस्तक्षेप की सिफारिश करने के लिए पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की स्थापना की गई है।
- जल आपूर्ति, विद्युत कनेक्टिविटी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने के लिए पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढाँचा विकास योजना (ukNorth East Special Infrastructure Development Scheme) संचालित की गई है।
- एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (NEIDS) संचालित है।
- नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड (North East Gas Grid) परियोजना संचालित है, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन/PM-DevINE)

- पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में विकास अंतराल को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम-डिवाइन की घोषणा की गई थी।
- यह 100% केंद्रीय वित्त-पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसका कार्यान्वयन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) द्वारा किया जाता है।
- यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर

परिषद् या केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों के माध्यम से लागू की जाएगी।

- पीएम-डिवाइन योजना में 2022-23 से 2025-26 (15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष वर्षों) तक चार वर्ष की अवधि में 6,600 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा।
- इस योजना के तहत बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया जाएगा, उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं को समर्थन प्रदान किया जाएगा तथा युवाओं व महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सृजित किया जाएगा, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार सृजन और सामाजिक-आर्थिक विकास होगा।

पुर्वोत्तर प्रभाग द्वारा प्रशासित अन्य योजनाएँ (Other Major Schemes Administered by North East Division)

1. **पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादियों के आत्म-समर्पण एवं पुनर्वास के लिए योजना** (Scheme for Surrender-cum-Rehabilitation of militants in North East): गृह मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के आत्म-समर्पण-सह-पुनर्वास योजना का उद्देश्य उग्रवादियों को आत्म-समर्पण करने और समाज की मुख्यधारा में फिर से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। 1 जनवरी, 1998 को शुरू तथा 1 अप्रैल, 2005 को संशोधित यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुमराह युवाओं और कट्टर आतंकवादियों के लिए पुनर्वास के अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
2. **पूर्वोत्तर में सिविक एक्शन प्रोग्राम** (Civic Action Programme in North East): स्थानीय जनता को विश्वास में लेने और आम लोगों के बीच सशस्त्र बलों की छवि को बढ़ावा देने के लिए, सेना और केंद्रीय अर्द्ध-सैनिक बल सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत, विभिन्न कल्याणकारी/विकासात्मक गतिविधियाँ शुरू की जाती हैं।
3. **विज्ञापन और प्रचार** (Advertisement and Publicity): पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास की योजना में समझ और एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहल शामिल हैं। इनमें से कुछ पहलों में नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) के तत्वावधान में पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए भारत के अन्य हिस्सों और इसके विपरीत दौरों का आयोजन शामिल है। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पूर्वी राज्यों में पत्रकारों का दौरा, साथ ही पूर्वोत्तर विषयों पर केंद्रित रेडियो प्रसारण, विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता, आपसी समझ और एकता को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा हैं।

3.10 उग्रवाद विरोधी कदम (Counter Insurgency Steps)

- **विप्लव-रोधी** (Counter-insurgency: COIN): रणनीति में नागरिक और सैन्य दोनों तरह के व्यापक प्रयास शामिल होते हैं, जिनका उद्देश्य उग्रवाद को सीमित और नियंत्रित करना है, साथ ही इसके अंतर्निहित कारणों को संबोधित करना भी है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के संदर्भ में, सरकार ने उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए विभिन्न राजनीतिक और सैन्य उपाय लागू किए हैं।
- **बल का प्रयोग:** 2011 में, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर के सात 'सिस्टर स्टेट्स' में से छह में सक्रिय 79 सशस्त्र विद्रोही समूहों की पहचान की थी, जिनमें से कुछ को "आतंकवादी संगठन" के रूप में नामित किया गया है।
- **सशस्त्र बलों के साथ अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती:** 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद और फिर 1970 के दशक में, जब विद्रोह अपने चरम पर था, अधिक सैनिकों को स्थायी रूप से तैनात किया गया था। चीन, म्याँमार और बांग्लादेश से लगी सीमाओं की निगरानी के लिए बड़ी बटालियनें भी स्थापित की गई हैं।

3.11 सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA)

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA) 11 सितंबर, 1958 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य अत्यधिक शत्रुतापूर्ण वातावरण में विप्लवकारियों के विरुद्ध सक्रिय अभियान चलाते समय सशस्त्र बलों को आवश्यक शक्तियाँ और कानूनी सुरक्षा प्रदान करना था। तब से, सशस्त्र बल उग्रवाद को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और अशांत क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करने में सक्षम रहे हैं।

3.11.1 मुख्य विशेषताएँ (Salient Features)

- AFSPA अधिनियम की धारा 3 राज्य तथा केंद्र-शासित क्षेत्रों के राज्यपालों को भारत के राजपत्र (गजट) पर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करती है, जिसके पश्चात् केंद्र को असैन्य क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार मिल जाता है।
- वे राज्य जहाँ AFSPA लागू है: असम, नागालैंड, मणिपुर (इंफ़ाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर), अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से (1990 से) हैं। AFSPA को हाल ही में (2016 में) त्रिपुरा से हटा दिया गया था।

AFSPA **के तहत शक्तियाँ** (Powers under AFSPA)

- **बल का प्रयोग** (Use of Force): इस कानून की धारा-4 के अनुसार, सुरक्षा बल का अधिकारी संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है और ख़तरा होने पर उस स्थान को नष्ट करने के आदेश दे सकता है। भले ही अधिनियम की धारा 4 के तहत इससे मृत्यु हो जाए।

- **तलाशी अभियान** (Search Operation)**:** हथियार ले जाने वाले किसी भी वाहन या संदिग्ध व्यक्ति को रोका और उसकी तलाशी ली जा सकती है। सशस्त्र बल किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ़्तार कर सकते हैं। गिरफ़्तारी के दौरान वे किसी भी तरह की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।
- **सैन्य अभियान** (Military Operation)**:** सशस्त्र स्वयंसेवकों, गिरोहों या भगोड़ों के हथियारों के भंडार, छिपने के ठिकानों, तैयार आश्रयों या प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट किया जा सकता है।
- **विधिक् प्रतिरक्षा** (Legal Immunity)**:** सेना के अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए कानूनी छूट प्राप्त है। इसके अलावा, किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने का सरकार का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है।
- **सद्भावना के तहत सुरक्षा** (Protection under Good Faith)**:** इस अधिनियम के तहत सद्भावना से काम करने वाले व्यक्तियों को केंद्र सरकार की मंजूरी के अलावा अभियोजन, मुक़दमे या कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा प्राप्त है।

3.11.2 उच्चतम न्यायालय का अवलोकन (Supreme Court's Observation)

1998 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय (नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) में AFSPA की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। इस फैसले में, उच्चतम न्यायालय कुछ निष्कर्षों पर पहुँचा, जिनमें शामिल हैं:

1. केंद्र सरकार द्वारा स्व-प्रेरणा से घोषणा की जा सकती है, हालाँकि यह वांछनीय है कि घोषणा करने से पहले राज्य सरकार को केंद्र सरकार से परामर्श लेना चाहिए।
2. AFSPA किसी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' घोषित करने की मनमानी शक्तियाँ प्रदान नहीं करता है।
3. घोषणा एक सीमित अवधि के लिए होनी चाहिए और घोषणा की समय-समय पर समीक्षा हेतु 6 महीने की अवधि समाप्त हो गई है।
4. AFSPA द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय प्राधिकृत अधिकारी को प्रभावी कार्यवाही हेतु आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग करना चाहिए।
5. अधिकृत अधिकारी को सेना द्वारा जारी 'क्या करें और क्या न करें' ('Dos and Don'ts') का सख़्ती से पालन करना चाहिए।

2016 में, उच्चतम न्यायालय ने सशस्त्र बलों के लिए दंड से मुक्ति समाप्त कर दी। इसने फैसला सुनाया कि अशांत क्षेत्रों में "मुठभेड़" के दौरान हुई हत्याओं की गहन जाँच की जानी चाहिए, क्योंकि "कथित दुश्मन हमारे देश का नागरिक है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी मौलिक अधिकारों का हक़दार है।"

3.11.3 अफस्पा: आलोचनात्मक विश्लेषण (AFSPA: A Critical Analysis)

2004 में गठित न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी समिति ने अफस्पा को निरस्त किए जाने की सिफारिश की और कहा है कि गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में उचित प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए और प्रत्येक जिले में जहाँ सशस्त्र बल तैनात हैं, वहाँ शिकायत कक्ष स्थापित किए जाने चाहिए।

सार्वजनिक व्यवस्था पर दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की 5वीं रिपोर्ट में भी अफस्पा को हटाने की सिफारिश की गई है।

न्यायमूर्ति हेगड़े समिति (Justice Hegde Committee)**:**

- **मानवीय-जवाबदेही** (Humane-Accountability)**:** विवादास्पद अफस्पा को अधिक मानवीय और सुरक्षा बलों को अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
- **निश्चित समय सीमा** (Fixed Time Frame)**:** समिति केंद्र सरकार को यह निर्णय लेने के लिए तीन महीने का समय देने का सुझाव देती है कि उग्रवाद प्रभावित जिलों में गैर-न्यायिक हत्याओं या नियम-विरुद्ध व्यवहार के लिए सुरक्षा कर्मियों को दंडित किया जाए या नहीं।

अफस्पा के पक्ष में तर्क (Arguments in favour of AFSPA)

असाधारण स्थितियाँ असाधारण उपायों की माँग करती हैं, और उन आतंकवादियों से निपटने के लिए अफस्पा की आवश्यकता होती है, जिनका घोषित उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है।

- **सीमाओं की रक्षा करना:** अफस्पा द्वारा दी गई शक्तियों से सशस्त्र बल दशकों से देश की सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम हैं।
- **विद्रोहों का प्रभावी प्रतिवाद:** देश के अंदर विशेषकर कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोही तत्त्वों से निपटने के लिए एक सख़्त कानून की आवश्यकता है।
- **सुरक्षा बलों का मनोबल:** अफस्पा अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों के मनोबल (मानसिक कल्याण) को बढ़ाता है, क्योंकि अधिनियम को हटाने से आतंकवादी स्थानीय लोगों को सेना के विरुद्ध मुक़दमा दायर करने के लिए प्रेरित करेंगे।
- **परिचालन संबंधी आवश्यकताएँ:** ऐसे कानून की अनुपस्थिति संगठनात्मक लचीलेपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और अपनी निर्दिष्ट जिम्मेदारियों को पूरा करने में सुरक्षा बलों के लचीलेपन और प्रभावशीलता पर नकारात्मक परिणाम देगी।

पर्याप्त सुरक्षा उपाय (Adequate Safeguards)

अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, गिरफ़्तार किए गए नागरिकों

को जितनी जल्दी हो सके निकटतम पुलिस स्टेशन में भेजा जाना चाहिए, साथ ही उन परिस्थितियों का विवरण देने वाली एक रिपोर्ट भी भेजनी चाहिए, जिसके कारण गिरफ़्तारी हुई।

- सेना मुख्यालय ने आदेश दिया है कि हिरासत में लिए गए सभी संदिग्धों को 24 घंटे से कम समय के भीतर सिविल अधिकारियों को सौंप दिया जाना चाहिए।
- सेना के नियमों में प्रावधान है कि बल का प्रयोग केवल आत्मरक्षा में ही स्वीकार्य है। यह आगे निर्दिष्ट करता है कि बल का उपयोग, जैसे गोलीबारी, की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है, जब आतंकवादी या उग्रवादी हमलों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके।

अफस्पा के विरुद्ध तर्क (Arguments against AFSPA)

- **सख़्त कानून:** अफस्पा की व्यापक रूप से आलोचना की गई है, क्योंकि यह एक सख़्त कानून है, जो सेना को निरंकुश शक्ति प्रदान करता है। आलोचकों का तर्क है, कि यह कानून निर्दोष नागरिकों में उनके जीवन और स्वतंत्रता को लेकर भय उत्पन्न करता है। सेना के विरुद्ध आरोपों में गैर-कानूनी हिरासत, बलात्कार और फ़र्जी मुठभेड़ शामिल हैं।
- **कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अभिसमयों का उल्लंघन:** अफस्पा की कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अभिसमयों का उल्लंघन करने के लिए आलोचना की जाती है, जिसमें मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, अत्याचार के विरुद्ध कन्वेंशन और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए संयुक्त राष्ट्र आचार संहिता शामिल है।
- **कोई बेहतर समाधान नहीं:** आलोचकों का तर्क है कि देश को "बैलेट" के बजाय "बुलेट" के आधार पर चलाना प्रभावी समाधान नहीं हो सकता है। उनका तर्क है कि मुद्दों को बल के प्रयोग ("बैलेट") पर निर्भर रहने के बजाय लोकतांत्रिक तरीकों से संबोधित किया जा सकता है, जैसे कि चुनाव ("बैलेट")।

आगे की राह (Way Forward)

यह शर्त होनी चाहिए कि ज़्यादती के मामलों में सक्षम अधिकारी तत्काल जाँच करे। सशस्त्र बलों को किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि से अधिक हिरासत में रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, पूरे राज्य को अफस्पा के दायरे में लाने की मौजूदा प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए और इसके आवेदन को केवल राज्य के आवश्यक हिस्सों तक ही सीमित किया जाना चाहिए, जैसा कि पुंछी आयोग ने सिफारिश की थी, जिसने "स्थानीयकृत आपातकालीन प्रावधानों" का प्रस्ताव रखा था।

■■■■

? विगत् वर्षों की मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्नों को हल कीजिए

1. उत्तर-पूर्वी भारत में विप्लवियों की सीमा पार आवाजाही, सीमा की पुलिसिंग के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों में से केवल एक है। भारत-म्याँमार सीमा के आर-पार वर्तमान में आरंभ होने वाली विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। साथ ही चुनौतियों का प्रतिरोध करने के कदमों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) (2019)

2. भारत का उत्तर-पूर्वीय प्रदेश बहुत लंबे समय से विद्रोह ग्रसित है। इस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की अतिजीविता के मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) (2017)

3. मानवाधिकार कार्यकर्त्ता लगातार इस विचार को उजागर करते हैं कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA) एक क्रूर अधिनियम है, जिससे सुरक्षा बलों के द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले उत्पन्न होते हैं। इस अधिनियम की कौन-सी धाराओं का कार्यकर्त्ता विरोध करते हैं? उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्यक्त विचार के संदर्भ में इसकी आवश्यकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (2015)

प्रमुख बिंदु

1. **पूर्वोत्तर में विप्लव/विद्रोह का परिचय:** ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भूगोल, परस्पर निर्भरता, राजनीतिक अशांति, पूर्वोत्तर राज्यों में विप्लव की स्थिति।
2. **विप्लव/विद्रोह के कारण**
   - **ऐतिहासिक कारकः** ब्रिटिश नीतियाँ, पिछड़ा हुआ क्षेत्र, स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक एकीकरण का अभाव।
   - **भौगोलिक कारकः** छिद्रित अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ, घने वन, असुगम भू-भाग।
   - **सांस्कृतिक कारकः** जटिल नृजातीय संबंध, पहचान संघर्ष, जनसांख्यिकी।
   - **सामाजिक कारकः** विघटित समाज, अलगाव, वंचना।
   - **आप्रवासन कारकः** बाह्य, आंतरिक।
   - **आर्थिक कारकः** बेरोजगारी, सीमित आर्थिक विकास।
   - **राजनीतिक कारकः** विद्रोहियों को राजनीतिक समर्थन, दूरदर्शी नेतृत्त्व का अभाव, राजनीतिक अस्थिरता।
   - **शासन संबंधित कारकः** बुनियादी सुविधाओं की कमी, भ्रष्टाचार।

   विद्रोह के कारण
   - हथियारों की उपलब्धता
   - राजनीतिक प्रेरणा
   - लोकप्रिय समर्थन आधार
   - भूगोल और भू-भाग
   - बाहरी समर्थन
3. **उग्रवाद पर सरकार की प्रतिक्रिया**
   - **सुरक्षा बल का आनुपातिक उपयोगः** सशस्त्र बलों की तैनाती, अर्द्ध-सैनिक बलों की स्थायी तैनाती के माध्यम से उग्रवाद का मुकाबला करना।
   - संवाद और वार्ता का उपयोग।
   - **संरचनात्मक परिवर्तनः** जनजातीय पंचशील, स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्र और छठी अनुसूची, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय।
   - **उग्रवाद विरोधी कदमः** बलों का उपयोग, सशस्त्र बलों के साथ अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती।
4. **AFSPA**
   - **मुख्य विशेषताएँ:**
     - अधिनियम राज्य या केंद्र-शासित प्रदेश के राज्यपाल को पूरे राज्य या केंद्र-शासित प्रदेश के किसी हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देता है।
     - **वे राज्य जहाँ AFSPA लागू हैः** असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से तथा जम्मू और कश्मीर।
   - **सामाजिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा प्रावधानों का विरोध**
     - प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी व्यक्ति पर गोली चलाने की शक्ति होती है।
     - किसी प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध मुक़दमा चलाने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
     - प्रावधान सशस्त्र बलों को असाधारण शक्तियाँ देते हैं, जिनका दुरुपयोग स्थानीय नागरिकों पर किया जाता है।
   - **AFSPA के पक्ष में तर्कः**
     - उग्रवाद विरोधी प्रतिक्रिया में प्रभावी।
     - AFSPA सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ाता है।
     - AFSPA द्वारा दी गई शक्तियों से सशस्त्र बल देश की सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम हैं।
     - आतंकवादियों से निपटने के लिए आवश्यक।
   - **AFSPA के विरुद्ध तर्कः**
     - कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अभिसमयों का उल्लंघन।
     - देश को गोलियों के दम पर चलाने की ज़रूरत नहीं।
     - सख़्त कानून।
   - **आगे की राह**

     सशस्त्र बलों को किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि से अधिक हिरासत में रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, पूरे राज्य को AFSPA के दायरे में लाने की वर्तमान प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। इसे राज्य के केवल आवश्यक हिस्सों तक ही सीमित किया जाना चाहिए, जैसा कि पूँछी आयोग ने सिफारिश की थी, जिसने "स्थानीयकृत आपातकालीन प्रावधान" का प्रस्ताव दिया था।